भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
लखनऊ

लखनऊ स्थित रेलवे स्टेशनों से/तक भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ को/से एवं भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ से/तक करेंसी चेस्टों, भारत सरकार की प्रेसों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य कार्यालयों आदि तक/ से नोटों के बक्से लाना/ले जाना।

भाग I

निविदाकर्ता का नाम:- ______________________________

पता:- ____

____

____

____

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख:- 29 मई 2015 को अपराह्न 14.00 बजे तक

निविदा खोलने की तारीख:- 29 मई 2015 को अपराह्न 15.00 बजे

बोली खोलने से पूर्व की बैठक की तारीख:- 25 मई 2015 को अपराह्न 15.00 बजे तक

स्थान

भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, 8-9, विपिन खंड, गोमती नगर
लखनऊ
पिन 226 010 उत्तर प्रदेश

सारिणी की विषय-वस्तु

मद	**विवरण**
खंड I	निविदा / बोली का फॉर्म
खंड II	सामान्य अनुदेश एवं विशेष शर्तें
खंड III	कार्य का दायरा
खंड IV	बोलीकर्ता द्वारा भरे जाने वाले ब्योरे
खंड V	निष्पादित किए जाने वाले ठेका करार का मसौदा
भाग II	मूल्य बोली
अनुलग्नक-I	बयाना राशि के बदले बैंक गारंटी का मसौदा
अनुलग्नक -II	जमानत राशि के बदले बैंक गारंटी का मसौदा
अनुलग्नक-III	भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, लखनऊ के क्षेत्राधिकार में करेंसी चेस्टों की सूची

भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
लखनऊ
कार्य का दायरा एवं वाणिज्यिक शर्तें

कार्य का दायरा एवं वाणिज्यिक शर्तें

लखनऊ स्थित रेलवे स्टेशनों से/तक भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ को/से एवं भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ से/तक करेंसी चेस्टों, भारत सरकार की प्रेसों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य कार्यालयों आदि तक/ से नोटों के बक्से लाना/ले जाना।

खंड I

<u>निविदा का फॉर्म</u>

स्थान _________________

दिनांक _________________

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
8-9 विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ -226010

महोदय

हमने ज्ञापन में एवं इसमें आगे दिए गए विनिर्देशों, सामान्य अनुदेशों तथा विनिर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विशेष शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है, जांच कर ली है तथा समझ लिया है और कथित ज्ञापन में विनिर्दिष्ट साइट (साइटों) का दौरा किया है एवं जांच की है तथा निविदा से संबंधित अपेक्षित सूचना हासिल कर ली है, तथा कथित ज्ञापन में उल्लिखित कार्य को ज्ञापन / निविदा दस्तावेज में उल्लिखित समय सीमा में भाग II (मूल्य बोली) में दी गई दर पर एवं करार की शर्तों (आर्टीकल्स आफ एग्रीमेंट)/ निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) हेतु सामान्य अनुदेशों में उल्लिखित लिखित विनिर्देशों एवं अनुदेशों तथा विशेष शर्तों एवं अन्य सभी पक्षों (जहां तक ये शर्तें लागू होती हैं उसके अनुसार) को ध्यान में रखते हुए मैं/ हम इसे निष्पादित करने का प्रस्ताव देते हैं।

ज्ञापन

क्र.सं.	विवरण	ब्योरे
1	कार्य का प्रकार	लखनऊ स्थित रेलवे स्टेशनों से/तक भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ को/से एवं भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ से/तक करेंसी चेस्टों, भारत सरकार की प्रेसों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य कार्यालयों आदि तक/ से नोटों के बक्से लाना/ले जाना।
2	वह अनुमानित लागत/व्यय जिसे बैंक को अगले वर्ष इसी कार्य पर वहन करना पड़ सकता है।	रु. 13-15 लाख। यह राशि निदर्शी मात्र है तथा बैंक के लिए यह बाध्यकारी नहीं होगा कि वह इस ज्ञापन में उल्लिखित अनुमानित लागत/व्यय की राशि के बराबर या उससे अधिक का व्यय करे।
3	भुगतान की तरीका	निविदा दस्तावेज के भाग V में दिए गए मसौदा ठेका करार में जैसा दिया गया है उसके अनुसार।
4	बयाना राशि	रु 30,000/- मात्र (रु तीस हजार मात्र)
5	जमानत राशि	रु 75,000/- मात्र (रु पचहत्तर हजार मात्र)
6	ठेका अवधि	ठेके की तारीख से एक वर्ष तक

2. मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि हमारी निविदा इसके भाग I के खुलने से 90 (नब्बे) दिन तक वैध रहेगी तथा वैधता की इस अवधि को उस अवधि तक बढ़ाया जा सकता है जिसकी लिखित रूप से आपसी सहमति बैंक तथा मेरे/हमारे बीच हुई हो। निविदा की वैधता की पूरी अवधि के दौरान बयाना राशि के रूप में बैंक गारंटी रखने के लिए भी मैं/हम सहमत हैं।

3. इस निविदा के स्वीकार होने की स्थिति में मैं/हम निविदा की शर्तों का पालन करने तथा इन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं तथा ऐसा न कर पाने की स्थिति में आपको या आपके उत्तराधिकारियों, समुनिदेशितियों, या नामांकितियों को निविदा में निर्धारित शर्तों के अनुसार धनराशि का भुगतान करेंगे तथा इसके साथ निविदा के बारे में लिखित स्वीकृति भी देंगे।

4. मैं/हम समझते हैं कि आपको किसी एक या सभी निविदाओं को पूर्णत: या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार है।

5. निविदा/बोली **भाग I** तथा **भाग II** नामक दो भागों में मुहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत की गई है। **भाग I** में तकनीकी पक्ष से संबंधित से सभी ब्योरे /प्रमाणपत्र तथा वचन एवं पात्रता संबंधी अन्य शर्तें होंगी तथा **भाग II** में केवल बैंक द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मे में "मूल्य बोली" होगी।

_____ _____, 2015

कृते मैसर्स _______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(मुहर सहित हस्ताक्षर)

नाम ____

पदनाम ___________________________________

स्थान ____

तारीख____________________________

(उक्त हस्ताक्षरी को अधिकृत करने वाले मुख्तारनामे की सत्यापित मूल प्रति संलग्न की जाए। इसके संलग्न न होने पर बोली खारिज की जा सकती है।)

गवाह

गवाह 1	**गवाह 2**
हस्ताक्षर ____________________________	हस्ताक्षर ____________________________
नाम _______________________	नाम _______________________
पता ______________________	पता ______________________
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________
तारीख:- __________________________	तारीख:- __________________________

खंड II

सामान्य अनुदेश तथा विशेष शर्तें

2.1 निविदाकर्ता का गठन एवं पात्रता

निविदाकर्ता ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसके पास:-

I) इसी तरह के तथा इतनी ही मात्रा के कार्यों को करने का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव

II) पिछले तीन वर्ष में कम-से-कम रु 15 लाख का टर्नओवर होना चाहिए तथा इसके समर्थन में पिछले तीन वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय विवरण संलग्न किए जाएं।

III) पिछले पांच वर्ष में इसी तरह के कार्यों के दो या इससे अधिक ठेके पूरे किए हों जिनमें से प्रत्येक रु 7.5 लाख से कम का न हो (ये कार्य 31 मार्च 2010 या इसके पश्चात पूरे हुए हों)।

IV) लखनऊ में ऐसा व्यक्ति जिससे संपर्क किया जा सके, टेलीफोन नंबर (लैंडलाइन एवं मोबाइल) सहित उसका पूरा पता (उक्त व्यक्ति का केवाईसी सुबूत – पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/राशन कार्ड)।

नोट:-अपेक्षित अर्हता/पात्रता के अपने दावे के समर्थन में निविदाकर्ता को दस्तावेजी सुबूत प्रस्तुत करने होंगे। समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत न करने वाली निविदा/बोली को उपर्युक्त मानकों को पूरा न करने वाली संस्था की निविदा/बोली को खारिज कर दिया जाएगा। इस बारे में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

2.2 निविदा जारी एवं प्रस्तुत करना

2.2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), लखनऊ के निर्गम विभाग के विप्रेषण अनुभाग से **अखबारों में इस नोटिस के छपने से 29 मई 2015 तक** किसी भी कार्यदिवस में **13:00 बजे तक** प्रति सेट रु 500/- (रु पांच सौ मात्र) का भुगतान करके निविदा दस्तावेज प्राप्त किया जा सकता है। यह भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में लखनऊ में देय मांग ड्राफ्ट या बैंकर चेक के माध्यम से किया जा सकता है। ये दस्तावेज भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in के “निविदाएं” शीर्ष के तहत) से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

2.2.2 निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे सिर्फ बैंक द्वारा जारी/ भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) से डाउनलोड किए गए फॉर्मों (निविदा फॉर्म) का ही प्रयोग करें। भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) से डाउनलोड किए गए फॉर्मों में कोई परिवर्तन न किया जाए। वेबसाइट से डाउनलोड किए गए निविदाओं में बाद

यदि यह पाया जाता है कि कि बाद में इनके मूल रूप से कोई परिवर्तन/संशोधन किया गया है तो ऐसी निविदाओं को रद्द/खारिज किया जा सकता है। तथापि, निविदाकर्ता अगर कोई अतिरिक्त सूचना देना चाहते हों तो वे निविदा फॉर्मों को बदले या संशोधित किए बिना ही अलग से अपने लैटरहैड/पेपर पर दे सकते हैं।

2.2.3 निविदा के प्रस्तुत किए गए प्रत्येक पृष्ठ तथा यदि अतिरिक्त सूचना वाले हों तो उनके भी प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता को **हस्ताक्षर करने** चाहिए।

2.2.4 निविदा फॉर्म को अंग्रेजी या हिंदी में भरा जाए तथा सभी प्रविष्टियां हस्तलिखित हों तथा इन्हें बॉल पेन से लिखा जाए। **यदि कोई दस्तावेज गुम हो या उस पर हस्ताक्षर न हों तो बैंक उस निविदा को अवैध मान सकता है।**

2.2.5 बोली दो भागों में प्रस्तुत की जाए अर्थात **"भाग I –बक्सों में पैक नोटों हेतु परिवहन (ट्रांसपोर्ट) की आपूर्ति हेतु निविदा – कार्य का दायरा तथा पात्रता की शर्तें"** एवं **"भाग II - बक्सों में पैक नोटों हेतु परिवहन (ट्रांसपोर्ट) की आपूर्ति हेतु निविदा - मूल्य बोली"**।

2.2.6 निविदा के भाग- I को लिफाफे में मुहरबंद किया जाए तथा इसके ऊपर **भाग I – बक्सों में पैक नोटों हेतु परिवहन (ट्रांसपोर्ट) की आपूर्ति हेतु निविदा – कार्य का दायरा तथा पात्रता की शर्तें"** लिखा हो। निविदा के भाग- II को लिफाफे में मुहरबंद किया जाए तथा इसके ऊपर **"भाग II - बक्सों में पैक नोटों हेतु परिवहन (ट्रांसपोर्ट) की आपूर्ति हेतु निविदा - मूल्य बोली"** लिखा हो। मुहरबंद इन लिफाफों को फिर एक दूसरे लिफाफे में रखकर मुहरबंद किया जाए तथा इसके ऊपर **"बक्सों में पैक नोटों हेतु परिवहन (ट्रांसपोर्ट) की आपूर्ति हेतु निविदा"** लिखा होना चाहिए तथा ये क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ को संबोधित होना चाहिए। मुहरबंद लिफाफे के बाएं कोने में नीचे की तरफ निविदाकर्ता का पूरा नाम, डाक का पता, ई-मेल तथा टेलीफैक्स/टेलीफोन नंबर लिखा होना चाहिए।

2.2.7 फैक्स एवं ई-मेल से भेजी गई निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।

2.2.8 लिखाई या छपाई में कुछ भी जोड़ना, उपलेख, जुड़ाव या संशोधन निविदाकर्ता द्वारा अधिप्रमाणित होने चाहिए। इन जोड़ों, उपलेख, जुड़ाव या संशोधनों के अधिप्रमाणित न होने की स्थिति में निविदा खारिज की जा सकती है।

2.2.9 निविदा की सभी प्रतियां हर तरह से पूर्ण हों तथा सभी संलग्नक/ अनुलग्नक/ परिशिष्टियां लगी हों।

2.2.10 मूल्य बोली (भाग II) में दरों का उल्लेख अंकों तथा शब्दों में किया जाए तथा उद्धृत दरों में यदि अंकों तथा शब्दों कोई विसंगति हो तो उस स्थिति में शब्दों में उद्धृत दर को ही प्रमाणित तथा सही माना जाएगा।

2.2.11 निविदा **29 मई 2015 को भारतीय समयानुसार पूर्वाह्न 14:00 बजे तक निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226 010** के पास पहुंच जानी चाहिए।

2.2.12 मुहरबंद निविदा नियत समय/तारीख को निर्गम विभाग, भूतल, भारतीय रिज़र्व बैंक, 8-9, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226 010 में रखे "कोटेशन बॉक्स" में जमा कर दी जाएं। **निर्गम विभाग के अन्यत्र रखे किसी "कोटेशन बॉक्स" में निविदा जमा न की जाए।** नियत समय के पश्चात प्राप्त किसी भी निविदा को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2.3 बोली-पूर्व बैठक

निविदा के संबंध इच्छुक निविदाकर्ताओं के किसी भी बिंदु/शंका को स्पष्ट करने के लिए इनकी बोली-पूर्व जानकारी बैठक **निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में 25 मई 2015 को अपराह्न 15:00 बजे** आयोजित की जाएगी। इस बैठक के लिए अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

2.4 भाग - I कार्य का दायरा तथा वाणिज्यिक एवं विशेष शर्तें

2.4.1 बोली के भाग – I में मूल्य-रहित निविदा होगी जिसमें संपूर्ण कार्य का दायरा तथा वाणिज्यिक शर्तें दी गई होंगी।

2.4.2 प्रस्तुत किए गए निविदा के भाग – I में निम्नलिखित संलग्न होंगे:-

(i)किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में देय मांग ड्रॉफ्ट, बैंकर चेक या बैंक गारंटी (निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से दो महीने तक वैध) के रूप में रु 30,000/- (रु तीस हजार मात्र) की बयाना राशि (ईएमडी)। मांग ड्रॉफ्ट तथा बैंकर चेक लखनऊ में देय होने चाहिए।

(ii) निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में मुख्तारनामा/ प्राधिकार जिस पर कंपनी/फर्म की मुहर लगी हो।

(iii) निविदा दस्तावेज में निविदाकर्ता ने पात्रता, शर्तों, फिटनेस, अनुपालन आदि के बारे में जो दावे किए हैं उनके समर्थन में प्रमाणपत्र, दस्तावेज एवं सबूत।

(iv) निविदाकर्ता के पास पूर्ण रूप से धातु की बॉडी तथा पूरी तरह धातु से कवर **9 टन** क्षमता वाले वाहनों/कंटेनरों, जिनमें दरवाजे एवं तालाबंद करने की सुविधा हो एवं जीपीएस प्रणाली स्थापित हो, के स्वामित्व एवं उपलब्धता दर्शाने वाले दस्तावेज। यदि वाहन किराए पर लेने/उपलब्ध कराने के लिए निविदाकर्ता ने किसी दूसरी संस्था के साथ संविदा की हो तो इस संविदा दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराई जाए ताकि वाहनों एवं उनकी संख्या की उपलब्धता की जानकारी हो सके।

(v) भाग IV में प्रस्तुत सूचना के समर्थन में दस्तावेजी सबूत ('निविदाकर्ता के ब्योरे' एवं 'वाहनों के ब्योरे' से संबंधित) ।

(vii) अन्य कोई सूचना जो निविदाकर्ता देना चाहे।

2.4.3 बोलीकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व वे कार्य/कार्यों/गतिविधियों की साइट/साइटों अर्थात बैंक परिसर, रेलवे स्टेशनों का दौरा कर लें तथा साइटों एवं कार्य की परिस्थितियों से स्थिति से भलीभांति अवगत हो लें ताकि निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व उचित निर्णय ले सकें।

2.4.4 निविदा/बोलियां इस निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों का पूर्णत: अनुपालन करें। इस बारे में कोई भी विपथन अनुमत नहीं होगा।

2.4.5 सभी सूचनाएं, पत्राचार/पत्र क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, 8-9, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010 को संबोधित किए जाएं।

2.5 भाग II – मूल्य बोली

2.5.1 मूल्य बोली वाले बोली के **भाग II** को एक अलग लिफाफे पर **भाग II** लिखते हुए निविदा के साथ ही प्रस्तुत किया जाए।

2.5.2 इस भाग में दिए गए मूल्य/दर केवल रुपए में ही दिए जाएं तथा फॉर्मेट (भाग II) के अनुसार मूल्य का ब्रेक-अप शब्दों तथा अंकों दोनों में ही दिए जाए। भाग II में कोई भी संलग्नक लगाने की अनुमति नहीं है। **निविदा के भाग II की शर्तों में कोई परिवर्तन या तकनीकी विपथन पाए जाने पर बोली खारिज की जा सकती है।**

2.5.3 दरों का उल्लेख निर्दिष्ट कॉलमों में अंकों तथा शब्दों दोनों में ही किया जाए। शब्दों तथा अंकों में उद्धृत दरों में यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो शब्दों में उद्धृत दर को ही सही माना जाएगा। पुन: यह दुहराया जाता है कि निविदा भरते समय जहां कहीं भी कुछ मिटाया जाता है या कुछ परिवर्तन किया जाता है तो निविदाकर्ता इसका अधिप्रमाणन करें। अंकों में किसी तरह की ओवरराइटिंग की अनुमति नहीं है। **इनमें से किसी भी शर्त का अनुपालन न करने पर बैंक के विकल्प पर निविदा खारिज की जा सकती है।**

2.5.4 निविदाकर्ता को सभी मदों के लिए दर उद्धृत करनी चाहिए एवं किसी भी कार्य की आंशिक मद का ठेका नहीं दिया जाएगा।

2.5.5ये दर निश्चित है तथा चाहे कुछ भी वृद्धि हो पर ये दरें ही लागू रहेंगी।

2.6 निविदा खोलना

2.6.1 निविदा/बोली का **भाग I 29 मई 2015 को अपराह्न 15.00** बजे उन निविदाकर्ताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जाएगा जो उपस्थित रहना चाहते हैं।

2.6.2 मूल्य बोली (**भाग II**) केवल उन्हीं बोलीकर्ताओं की खोली जाएगी जिन्हें **भाग I** बोली की जांच के उपरांत पात्र पाया गया होगा एवं इसे अगले किसी कार्यदिवस पर खोला जाएगा तथा इसकी सूचना सभी पात्र बोलीकर्ताओं को दी जाएगी।

2.7 निविदा की वैधता

निविदा के साथ-साथ इसमें उल्लिखित कीमतें निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से आरंभ में 90 (नब्बे) दिन तक वैध रहेंगी एवं इस अवधि के दौरान निविदाकर्ता न तो निविदा को खारिज कर सकता है एवं न ही इसे वापस ले सकता है। वैधता की यह अवधि बैंक एवं निविदाकर्ता के बीच आपसी लिखित सहमति से आगे बढ़ाई जा सकती है। निविदा की वैधता के आरंभिक नब्बे दिनों या आपसी सहमति से आगे बढ़ाई गई अवधि में अगर इसे वापस लिया जाता है या खारिज किया जाता है तो बैंक बयाना राशि को जब्त कर सकता है।

2.8 आवश्यक नहीं कि न्यूनतम निविदा को ही स्वीकार किया जाए

2.8.1 कार्य की विशेष एवं संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए बैंक को यह स्वतंत्रता होगी कि वह न्यूनतम बोली को स्वीकार न करे। बैंक को यह अधिकार भी होगा कि वह किसी एक या सभी निविदाओं को पूरी तरह से या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताए खारिज कर दे।
2.8.2 जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार नहीं की गई है वह निविदा प्रस्तुत करने के संबंध में किसी कीमत, प्रभार, हानि एवं व्यय एवं प्रासंगिक व्यय के बारे में कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता है, चाहे भले ही बैंक निविदा में संशोधन करे/वापस ले।

2.9 बयाना राशि एवं जमानत जमा

2.9.1 इच्छुक निविदाकर्ताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में मांग ड्राफ्ट, बैंकर चेक या बैंक गारंटी के माध्यम से रु 30,000/- (रु तीस हजार मात्र) की बयाना राशि जमा करनी होगी। मांग ड्राफ्ट/बैंकर चेक लखनऊ में देय होने चाहिए। बैंक गारंटी निविदा/बोली की संपूर्ण अवधि के लिए वैध होनी चाहिए। निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात यदि निविदाकर्ता अपने प्रस्ताव में विलंब करता है, हटता है या विपथित होता है या शर्तों में ऐसा संशोधन करता है जो कि बैंक को स्वीकार्य नहीं हो तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
2.9.2 जिस निविदा के साथ निर्धारित बयाना राशि नहीं होगी उसे खारिज़ माना जाएगा।

2.9.3 बैंक यदि निविदा को वापस लेता है या खारिज़ करता है, ऐसा करने का उसे सदैव हक है, तो निविदा प्रस्तुत करने या इसे तैयार करने में निविदाकर्ता का जो व्यय हुआ है उसके लिए कोई क्षतिपूर्ति/प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
2.9.4 यदि सफल निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज में निर्धारित जमानत राशि प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो इसके परिणामस्वरूप होने वाली हानि या नुकसान के लिए उसके उत्तरदायित्व पर कोई प्रभाव ड़ाले बिना बैंक उसकी बयाना राशि जब्त कर लेगा।

2.10 ठेके की शर्तें एवं भुगतान

2.10.1 ज्योंही निविदाकर्ता को बैंक से उसकी निविदा स्वीकार करने की सूचना मिलती है त्योंही सफल निविदाकर्ता मसौदा करार तथा दर अनुसूची के अनुसार करार पर हस्ताक्षर करेगा तथा सूचना मिलने के एक सप्ताह के अंदर रु 75,000/- (रु पचहत्तर हजार मात्र) की जमानत राशि प्रस्तुत करेगा। यह जमानत राशि नकद, मीयादी जमा या किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी इतनी ही राशि की बैंक गारंटी के रूप में हो सकती है। मीयादी जमा को उन्मोचित होना चाहिए तथा पत्र में सुपुर्दगी का उद्देश्य बताते हुए इसे बैंक को सुपुर्द करना चाहिए। बैंक गारंटी पूरी ठेका अवधि के लिए हो। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा

निविदा की लिखित स्वीकारोक्ति का आशय होगा कि अब यह संविदा भारतीय रिज़र्व बैंक एवं निविदाकर्ता के बीच बाध्यकारी है चाहे भले ही बाद में औपचारिक करार हो या न हो।

2.10.2 इस निविदा की शर्तों के तहत जो भी क्षतिपूर्ति देनी हो या जिस भी धनराशि का भुगतान करना हो उसकी कटौती बयाना राशि, जमानत राशि या ठेकेदार को देय या देय होने वाली राशि में से काटी जाएगी। इस कटौती के कारण बयाना राशि/जमानत राशि में जो भी गिरावट आती है उसकी पूर्ति इस कटौती के तीन दिन के अंदर ठेकेदार को करनी होगी एवं ऐसा न करने पर बैंक कम हुई इस राशि एवं जब तक ये कमी रही है तब तक की की अवधि पर बैंक 18 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज के हिसाब से दंड लगा कर इसकी वसूली करेगा।

2.10.3 ठेकेदार इस ठेके को या उसके द्वारा किए जाने वाले इस कार्य के किसी अन्य उप-ठेके को अन्य किसी को नहीं देगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर बैंक लिखित रूप से एक नोटिस देते हुए ठेके को निरस्त कर सकता है तथा जमानत राशि जब्त कर सकता है तथा इससे बैंक के इस अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वह इसके लिए अन्य उपाय भी कर सकता है/अन्य कार्यवाहियों का सहारा ले सकता है।

2.10.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के जिन कार्यों के लिए यह निविदा जारी की जा रही है उनकी कार्यपद्धति समय-संवेदी, संवेदनशील तथा गोपनीय स्वरूप की है। इसलिए ठेकेदार को पर्याप्त संख्या में **जीपीएस सुविधा से युक्त बुलेट प्रूफ, पूरी तरह से कवर धातु की बॉडी वाले ऐसे ट्रक (9 टन क्षमता वाले)** जिनमें तालाबंद करने की सुविधा हो उन्हें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए एवं इस संबंध में इसी निविदा दस्तावेज में अन्यत्र उल्लिखित विधि से जब ठेकेदार को बैंक नोटिस दे/प्रस्तुत करे। ऐसे अतिरिक्त वाहनों की फिटनेस के बारे में बैंक का निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार को इस अतिरिक्त वाहन को किसी दूसरे फिट वाहन से बदलना होगा। ठेके के अनुसार अनुरोध नोटिस में मांगे गए अपेक्षित संख्या में वाहनों की आपूर्ति न कर पाने में बैंक प्रत्येक अवसर पर रु 5000/- (रु पांच हजार मात्र) का दंड लगा सकता है एवं इसकी वसूली कर सकता है।

2.10.5 सभी तरह से पूर्ण बिलों का भुगतान इन्हें प्रस्तुत करने के 15 (पंद्रह) दिन के अंदर किया जाएगा।

2.10.6 निविदाकर्ता मसौदा ठेका करार की विषय-वस्तु को ध्यान से पढ़ लें।

2.11 कर

उद्‌धृत मूल्य में सभी कर, ड्यूटी, स्थानीय लेवी, कार्य संविदा कर, केंद्र/राज्य सरकार/ स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए योजित मूल्य कर (वैट) शामिल होने चाहिए। यदि निविदाकर्ता अपनी निविदा में इन कर तथा ड्यूटियों को शामिल नहीं करता है तो इसके लिए बैंक बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय कानून के मुताबिक आय कर की कटौती स्रोत पर की

जाती है तथा इसके लिए ठेकेदार को प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। किसी भी न्यायालय सांविधिक या प्रशासनिक प्राधिकारी या नगरपालिका की मांग पर/आदेश पर बैंक को यदि किसी कर, ड्यूटी या लेवी का भुगतान करना पड़ता है तो इससे होने वाले किसी भी आर्थिक नुकसान के प्रति ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति देगा एवं रक्षित रखेगा। इन आदेशों/मांग के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक जो भुगतान करेगा उसकी वसूली वह जमानत राशि या ठेकेदार को देय भुगतानों में से कर सकता है एवं ऐसा न होने की स्थिति में इस राशि को ठेकेदार पर बैंक का ऋण समझा जाएगा। बैंक इस राशि की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकता है जिसमें संबंधित लागत तथा 18 प्रतिशत वार्षिक का ब्याज भी (चूक की पूरी अवधि हेतु) शामिल होगा।

2.12 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध तथा निदान) अधिनियम, 2013

ठेकेदार/एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध तथा निदान) अधिनियम, 2013" के उपबंधों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। यदि बैंक में ठेकेदार के कर्मचारी के विरुद्ध यौन-उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस शिकायत को कथित अधिनियम के अंतर्गत गठित उपयुक्त समिति को भेजी जाएगी। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न की रोकथाम तथा संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

2.13 हित टकराव

2.13(1) निविदाकर्ता का हित टकराव नहीं होना चाहिए। जिन निविदाकर्ताओं के निम्नानुसार हित टकराव होंगे उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा:-

(क) दो विभिन्न आवेदनपत्रों वाले निविदाकर्ता जिनके शेयरधारक एक ही हों।

(ख) ऐसे निविदाकर्ता (उनके कर्मचारियों सहित) जिनका भारतीय रिज़र्व बैंक के उन कर्मचारियों से कारोबारी एवं पारिवारिक रिश्ता हो जो निविदा प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हों, उन्हें ठेका नहीं दिया जाएगा।

2.14 भ्रष्ट या कपटपूर्ण आचरण

भारतीय रिज़र्व बैंक इस ठेके के आवेदकों से उच्च स्तर के आचरण, विशेषत: ठेके की अवधि के दौरान, की अपेक्षा करता है। इस नीति के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक:-

क) इन प्रावधानों के अनुसरण में अग्रलिखित को परिभाषित किया गया है:-

i. 'भ्रष्ट आचरण' से आशय है कि जन कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए मूल्य की किसी भी वस्तु का प्रस्ताव देना, वस्तु देना, इसे प्राप्त करना या निवेदन करना; एवं

ii. 'कपटपूर्ण आचरण' से आशय है कि नियोक्ता के हित के विपरीत ठेके के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों को घुमा-फिराकर प्रस्तुत करना, एवं इसमें आवेदकों/ बोलीकर्ताओं (बोली प्रस्तुत करने से पहले या बाद में) का आपस में मिलकर बोली मूल्य को ऐसे कृत्रिम गैर-प्रतिस्पर्धी स्तर पर ले आना जिससे नियोक्ता को मुक्त एवं खुली स्पर्धा का लाभ न मिल पाए।

iii. 'दुरभिसंधि आचरण' से आशय है कि दो या दो से अधिक बोलीकर्ताओं के बीच ऐसी योजना या व्यवस्था का होना जिससे बोली मूल्य को कृत्रिम, गैर-प्रतिस्पर्धी स्तर पर लाया जाए, एवं

iv. 'प्रतिरोधी आचरण' से आशय है कि किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना ताकि अधिप्राप्ति प्रक्रिया में उसकी सहभागिता कि प्रभावित किया जा सके या ठेका निष्पादन को प्रभावित किया जा सके।

ख) यदि यह निर्धारित हो जाता है कि कार्य प्रदान करने के लिए जिस आवेदक की अनुशंसा की गई है वह प्रश्नगत ठेके को पूर्ण करने के लिए भ्रष्ट या कपटपूर्ण आचरण करता है तो कार्य प्रदान करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाएगा।

ग) यदि किसी भी समय यह निर्धारित होता है कि ठेके को पूरा करने में या इसके निष्पादन में बोलीकर्ता ने भ्रष्ट या कपटपूर्ण आचरण किया है तो ठेका/ठेके देने से बोलीकर्ता को अनिश्चितकाल या उल्लिखित अवधि तक के लिए अपात्र घोषित किया जा सकता है।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के दिशानिर्देश संबंधी उक्त अनुदेश एवं मानक करार की विषय-वस्तु पढ़ एवं समझ ली है तथा इन्हें स्वीकार करते हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

पता ____________________________________

____

____

मुहर

गवाह 1 **गवाह 2**

गवाह 1	गवाह 2
हस्ताक्षर ______________________________ नाम	हस्ताक्षर ______________________________ नाम

______________________________	______________________________
पता ______________________________	पता ______________________________
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________
तारीख:-	तारीख:-
______________________________	______________________________

खंड III

3. कार्य का दायरा

3.1 कार्य के दायरे/गतिविधियों में बक्सों में पैक बैंक नोटों को लखनऊ के रेलवे स्टेशनों से भारतीय रिज़र्व बैंक, 8-9, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ तक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, 8-9, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ से लखनऊ के रेलवे स्टेशनों एवं सामान्यत: उत्तर प्रदेश में स्थित करेंसी चेस्टों तथा नासिक, देवास एवं सालबोनी में स्थित बैंक नोट के प्रेसों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य कार्यालयों आदि तक पहुंचाने के लिए **तालाबंद करने की सुविधा वाले एवं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) से युक्त** धातु की मजबूत बॉडी से कवर ट्रक/कंटेनर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराना शामिल है। **सफल निविदाकर्ता से अपेक्षित होगा कि वह वापसी यात्रा में करेंसी चेस्टों से गंदे नोट उठाए।**

3.2 उपर्युक्त कार्य/गतिविधियां सही तरीके से, सावधानीपूर्वक, त्वरित गति से तथा दक्ष तरीके से की जाएं। ये कार्य/गतिविधियां नोटों के बक्सों, बैंक के कर्मचारियों या अधिकारियों, बैंक की संपत्ति, सामान आदि तथा आम जनता या बैंक परिसर में उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति को बिना कोई क्षति पहुंचाए पूरी की जाएं। ट्रांस्पोर्टर को नोटों के बक्सों की ढुलाई, वॉल्ट से लाने-ले जाने, लोडिंग, अनलोडिंग करवाने के लिए मजदूरों की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार से समन्वय स्थापित करके काम करवाना होगा।

3.3 ठेकेदार को सौंपे जाने वाले परिचालन समय-संवेदी, संवेदनशील तथा गोपनीय स्वरूप के हैं। अत:, बैंक अपने निर्दिष्ट नोटिस में ठेकेदार से जो व्यवस्था नोटिस में करने को कहे उसके अनुसार **पर्याप्त मात्रा में जीपीएस युक्त मजबूत धातु की बॉडी वाले ऐसे ट्रक जिनके दरवाजों में ताले लगाने कि सुविधा हो**, उपलब्ध कराए। ट्रांसपोर्ट के मामले में ठेकेदार को जीपीएस युक्त बुलेट प्रूफ/ धातु की मजबूत बॉडी वाले/ कवर किए हुए तथा ताला लगाने की सुविधा वाले ट्रक/कंटेनर उपलब्ध कराने की अनुमति होगी। अनुरोध में की गई अपेक्षानुसार **ठेकेदार को नोटों के बक्सों के संचलन/परिवहन का काम एक ही कानवॉय में करना होगा।**

3.4 नोटों के मूल्यवर्ग के आधार पर पैक किए हुए नोटों के बक्सों का वजन एवं आकार इस प्रकार होगा:-

बक्से का वजन (किग्रा)	बक्से का आकार (सेमी. में)
95	37*74*70
99	32*74*68
115	37*82*70

123	38*80*69
129	40*84*71
138	45*85*70

3.5 नोटों के बक्सों की लोडिंग एवं अनलोडिंग सामान्यत: बंद सुरक्षा क्षेत्र में की जाए।

3.6 वाहन का **वैध परमिट होना चाहिए तथा संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आरटीए) द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना चाहिए तथा समस्त संबंधित खर्चों का भुगतान स्वयं करना चाहिए।** नोटों के बक्सों से पूरी तरह भरे हुए वाहन का वजन वाहन के 9 टन के अनुमत वजन से अधिक नहीं होना चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वाहनों का पूरी तरह से बीमा किया गया है एवं इस संबंध में बैंक किसी भी दावे की प्रतिपूर्ति नहीं करेगा। यदि खज़ाना कंटरेनर रास्ते में खराब होता है तो ठेकेदार क्रेन की सेवा/स्टेंड-बाई वाहन उपल्बध कराने की स्थिति में होना चाहिए जिससे कि खज़ाने के विप्रेषण में विलंब न हो। ठेकेदार को मोटर वाहन अधिनियम के सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करना होगा। जब वाहन नोट बक्सों से पूरी तरह भरा हो तो भरे हुए वाहन का वजन अनुमत सीमा अर्थात 9 टन की क्षमता से अधिक नहीं होना चाहिए। ट्रकों के ओवरलोडिंग की अनुमति नहीं है। यदि ओवरलोडिंग के कारण नोटों के बक्सों के परिवहन में कोई अवरोध या विलंब होता है या बैंक के कर्मचारियों या अधिकारियों के मानव-घंटों का नुकसान होता है तो बैंक को प्रत्येक अवसर पर रु 10,000/- (रु दस हजार मात्र) का अधिकतम दंड लगाने का अधिकार होगा।

3.7 दर उद्धृत (भाग II में अलग से – मूल्य बोली) करने के लिए कार्य/गतिविधियों का ब्योरा इस प्रकार है (**यहां मूल्य उद्धृत न किया जाए**):-

I) खज़ाने के साथ बाह्य यात्रा हेतु रु प्रति किमी (ठेकेदार को बैंक द्वारा दिए गए विप्रेषण आदेश/अनुरोध में उल्लिखित करेंसी चेस्टों (सामान्यत: उत्तर प्रदेश में), नोट मुद्रण प्रेस नासिक; देवास; सालबोनी तथा मैसूर एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य कार्यालयों आदि तक नोटों के बक्सों को लाना-ले जाना।
II) खज़ाने के साथ वापसी यात्रा हेतु रु प्रति किमी
III) बिना खजाने की वापसी यात्रा हेतु रु प्रति किमी
नोट:- **(i) भारतीय रिज़र्व बैंक से/तक करेंसी चेस्टों तक/से स्थानीय विप्रेषण का**

काम करने एवं भारतीय रिज़र्व बैंक से/तक लखनऊ रेलवे स्टेशन तक/से विप्रेषण लाने तथा ले जाने के लिए खज़ाने के साथ बाह्य यात्रा के लिए लागू दर के हिसाब से न्यूनतम 50 किमी की दूरी का प्रभार देय होगा।

(ii) 9 टन से कम या ज्यादा की क्षमता वाले कंटेनरों की दर स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदाकर्ता किसी अन्य क्षमता वाले कंटेनरों की दर उद्धृत न करें।

(iii) कार्य की जिन मदों की दर का उल्लेख यहां नहीं हुआ है तथा जिन पर करार में सहमति नहीं बनी है उनका निर्णय बैंक ठेकेदार से परामर्श कर करेगा।

बैंक परिसर से करेंसी चेस्ट तक एक गतिविधि में या प्रत्येक ट्रिप में नोटों के बक्सों की संख्या 9 टन के प्रत्येक ट्रक की निवल भार क्षमता के आधार पर कम-ज्यादा हो सकती है।

नोट:- निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे भाग I में किसी प्रकार से **दर/मूल्य उद्धृत** न करें। **जिन निविदाओं के भाग I में दर/मूल्य का उल्लेख होगा उन्हें खारिज कर दिया जाएगा।** अत:, निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे दर/मूल्य का उल्लेख अलग भाग यानि “भाग II – केवल मूल्य बोली” में किया जाए।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

पता

मुहर सहित पता तथा तारीख

खंड IV

निविदाकर्ता द्वारा भरे जाने वाले ब्योरे

क. निविदाकर्ता के ब्योरे

क्र.सं.	विवरण	ब्योरे
1	निविदाकर्ता का नाम क्या भारतीय बैंक संघ की अनुमोदित सूची में शामिल है? यदि हां, तो भारतीय बैंक संघ की अनुमोदित सूची की प्रविष्टि के ब्योरे।	
2	पता (कृपया पते के सुबूत के रूप में टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, मोबाइल बिल आदि प्रस्तुत करें) i) पंजीकृत पता ii) लखनऊ के स्थानीय व्यक्ति का पता	i) ii)
3	टेलीफोन नंबर (लैंडलाइन) i) पंजीकृत पता ii) लखनऊ के स्थानीय व्यक्ति का पता	
4	मोबाइल नंबर i) पंजीकृत पता	

	ii) लखनऊ के स्थानीय व्यक्ति का पता	
5	फैक्स नंबर i) पंजीकृत पता ii) लखनऊ के स्थानीय व्यक्ति का पता	
6	ई-मेल के पते	
7	आयकर पैन (कृपया फोटोकॉपी लगाएं)	
8	टैन (कृपया फोटोकॉपी लगाएं)	
9	सेवा कर पंजीकरण संख्या	
10	निविदाकर्ता का संघटन (कृपया मेमोरंडम/ आर्टीकल्स आफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड जैसे दस्तावेजी सुबूत प्रस्तुत करें।)	
11	स्वत्वाधिकारी/साझीदारों/निदेशकों के नाम (कृपया मेमोरंडम/ आर्टीकल्स आफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड जैसे दस्तावेजी सुबूत प्रस्तुत करें एवं समर्थन में पैन नंबर दें।)	
12	*निविदाकर्ता के स्वामित्व वाले ऐसे ट्रकों की संख्या जिनमें जीपीएस लगा हो, पूरी तरह धातु से कवर हों एवं दरवाजों में ताला लगाने की व्यवस्था हो।* (कृपया	

	प्रत्येक वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी, फिटनेस प्रमाणपत्र, पीयूसी, जीपीएस लगे होने के सुबूत आदि की प्रतियां प्रस्तुत करें।)	
13	*भारतीय रिज़र्व बैंक की मांग पर एक बार में निविदाकर्ता अधिकतम* ऐसे कितने ट्रकों की व्यवस्था कर सकता है जिनमें जीपीएस लगा हो, पूरी तरह धातु से कवर हों एवं दरवाजों में ताला लगाने की व्यवस्था हो।	
14	चालू खाता संख्या एवं इसके खोलने की तारीख	
15	उस बैंक एवं शाखा का नाम जहां खाता है (कृपया इसके समर्थन में बैंक का प्रमाणपत्र या खारिज चेक की प्रति संलग्न करें।)	
16	पहले लिए गए या वर्तमान में चालू ठेकों का विवरण। कृपया ठेका मिलने के पत्रों, करारों, पिछले प्रयोक्ताओं द्वारा जारी प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों सरीखे दस्तावेजी सुबूत प्रस्तुत करें।	

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का पता	संस्था का टेलीफोन नंबर	ठेके की अवधि	ठेके का मूल्य
I					
Ii					
Iii					
Iv					
V					

Vi					
17	वाहनों की आवश्यकता बताने के लिए नाम एवं फोन नंबर				

नाम	पदनाम	फोन नंबर	मोबाइल नंबर	फैक्स नंबर	ई-मेल का पता

18	जमा बयाना राशि के ब्योरे	
I	मांग जमा/ बैंकर चेक/ बैंक गारंटी की संख्या	
II	राशि (अंकों एवं शब्दों में)	
III	बैंक का नाम	
Iv	शाखा का नाम	
V	शाखा का पता	
Vi	शाखा का टेलीफोन नंबर	
Vii	मोबाइल नंबर	
Viii	फैक्स नंबर	
Ix	ई-मेल का पता	
X	बैंक गारंटी पर हस्ताक्षर करने वाले बैंक अधिकारी का नाम, पदनाम, टेलीफोन नंबर तथा ई-मेल का पता	

ख. स्वामित्व वाले वाहनों का ब्योरा:- **(पंजीकरण प्रमाणपत्र, बीमा तथा फिटनेस प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाएं।)**

क्र.सं.	बनावट (मेक) एवं प्रकार	क्षमता (टन में)	पंजीकरण संख्या	आरटीओ द्वारा जारी फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने की तारीख	वाहन की ऊंचाई	वाहन में उपलब्ध ताला लगाने की व्यवस्था	बीमा पॉलिसी का स्वरूप एवं वैधता खत्म होने की तारीख
1							
2							
3							
4							
5							

ग. आवश्यकता पड़ने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को यदि ठेकेदार अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराता है तो उसके ब्योरे:-

क्र.सं.	बनावट (मेक) एवं प्रकार	क्षमता (टन में)	पंजीकरण संख्या	आरटीओ द्वारा जारी फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने की तारीख	वाहन की ऊंचाई	वाहन में उपलब्ध ताला लगाने की व्यवस्था	बीमा पॉलिसी का स्वरूप एवं वैधता खत्म होने की तारीख

1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							

क्र. सं.	स्वामी	क्या स्वामी के साथ कोई करार किया गया है?	यदि हां, तो करार की तारीख	करार समाप्त होने की तारीख	क्या निविदा के साथ करार की प्रति संलग्न की गई है या नहीं?
1	9	10	11	12	13
1					
2					
3					
4					
5					

<u>महत्वपूर्ण नोटिस</u>

1. नोटों के बक्सों की लोडिंग एवं अनलोडिंग बंद सुरक्षा क्षेत्र में की जाए।
2. नोटों के बक्सों को लाने-ले जाने वाले वाहन पर नजर रखने हेतु इसमें ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लगा होना चाहिए।
3. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व कार्य/गतिविधियों की साइट अर्थात बैंक परिसर का दौरा कर लें तथा साइट की स्थिति से अवगत हो लें।

स्थान:-

तारीख तथा मुहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

खंड V

करेंसी नोटों के बक्सों को लखनऊ के रेलवे स्टेशनों से भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ तक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ से/तक उत्तर प्रदेश में स्थित करेंसी चेस्टों एवं नोट प्रेसों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य कार्यालयों आदि तक लाने-ले जाने का करार।

यह करार **वर्ष दो हजार पंद्रह के ______ माह की ________ तारीख** को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित निगमित निकाय भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसे अब "बैंक" कहा जाएगा तथा अन्य बातों के साथ-साथ जिसका कार्यालय लखनऊ में है एवं जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के निर्गम विभाग के उप महाप्रबंधक/महाप्रबंधक (इस अभिव्यक्ति में कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी भी शामिल होंगे) कर रहे हैं, **प्रथम पक्ष** होंगे तथा ____________________ (ठेकेदार का नाम) **जो कि मैसर्स __________________ के एकमात्र स्वत्वाधिकारी/ साझीदार/निदेशक** के नाम से कारोबार करते हैं तथा जिनके कार्य का प्रमुख स्थान _________ है तथा जिनका स्थानीय पता _______________, लखनऊ है तथा जिन्हें अब "ठेकेदार" (इस अभिव्यक्ति में उनके वारिस, वैधानिक प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी शामिल होंगे) कहा जाएगा, वे **द्वितीय पक्ष** हैं, के बीच किया जा रहा है।

चूंकि दरवाजे तथा इनमें ताले लगाने की व्यवस्था वाले पूरी तरह धातु की बॉडी तथा कठोर आवरण वाले ट्रकों/कंटेनरों/कैंटरों, जिन्हें अब "वाहन" कहा जाएगा, से बक्सों में पैक करेंसी नोटों लाने-ले जाने एवं सुपुर्दगी हेतु बैंक के उपयोगार्थ ------------- से ---------- तक एक वर्ष की अवधि के लिए, जिसे अब ठेका अवधि कहा जाएगा, संलग्न अनुसूची के साथ पठित दर एवं शर्तों पर बैंक द्वारा निविदा आमंत्रित तथा ठेकेदार ने प्रस्तुत निविदा। इसके अलावा, परिवहन के उद्देश्य से बैंक को उपलब्ध कराए गए वाहनों के मामले में ठेकेदार को इन वाहनों के स्वामित्व एवं उपयोग से संबंधित वर्तमान कानूनों, नियमों एवं विनियमों का पालन करना होगा। एवं चूंकि बैंक ने ऐसी निविदा स्वीकार कर ली है एवं दोनों पक्ष इस करार को करने के लिए सहमत हैं।

अब इन पक्षों में आपसी सहमति है एवं निम्नानुसार घोषणा की जाती है:-

1.1 ठेका अवधि के दौरान ठेकेदार को भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के निर्गम विभाग के महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक या उनके अधीनस्थ अधिकारी (अधिकारियों) से लिखित या मौखिक अनुरोध मिलने के बारह घंटों के अंदर बक्सों में पैक करेंसी नोटों को लाने-ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराने होंगे। ठेकेदार को यह अनुरोध टेलीफोन या मोबाइल या ई-मेल या फैक्स आदि से दिया जा सकता है। नोट-बक्सों को लाने-ले जाने के

लिए नियत समय से तीन घंटा पहले बैंक इस नोटिस को मौखिक या लिखित रूप से दूसरा नोटिस देकर खारिज कर सकता है। ऐसे मामले में बैंक ठेकेदार को पारिश्रमिक की क्षतिपूर्ति के लिए कोई भुगतान नहीं करेगा।

1.2 दिए गए नोटिस का अनुपालन करना ही होगा चाहे भले ही इसके लिए कारोबार के सामान्य कार्य-घंटों से ज्यादा या परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत या किसी अन्य वर्तमान संवंधि/प्रावधानों के तहत घोषित छुट्टी/छुट्टियों को काम करना पड़े।

1.3 अत्यावश्यक अवसरों/मामलों में ठेकेदार को **तीन घंटे** की अल्पावधि पर भी पर्याप्त संख्या में मजदूर एवं वाहन उपलब्ध कराने के अनुरोध का अनुपालन करना होगा। किसी भी अवसर/मामले को अत्यावश्यक मानने का निर्णय बैंक का होगा तथा इस ठेके के उद्देश्य से यह पर्याप्त होगा कि बैंक ने नोटिस दिया है तथा इसे अत्यावश्यक माना है। ठेकेदार को तद्नुसार कार्रवाई करते हुए इसका अनुपालन करना होगा।

1.4 यदि आवश्यक हुआ तो उक्त खंड 1.3 के तहत दिए गए अल्पावधि अनुरोध को भी बैंक खारिज कर सकता है। ऐसे मामले में बैंक क्षतिपूर्ति के रूप में अनुरोध में दर्शाए गए वाहनों या कार्य हेतु वास्तविक रूप से उपस्थित, इनमें से जो भी कम हो, वाहनों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ से रेलवे स्टेशन की एकतरफा दूरी तक के लिए निर्धारित दर के आधे मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

1.5 (क) ठेके के निष्पादन एवं इसके सफलतापूर्वक पूर्ण होने के लिए बैंक रु 75,000/- (रु पचहत्तर हजार मात्र) की राशि जमानत राशि के रूप में रखेगा तथा जमानत की इस राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

(ख) ठेकेदार इस ठेके को किसी अन्य को नहीं देगा। वह ठेके के किसी भी हिस्से को बैंक की लिखित अनुमति के बिना सबलेट (उपठेका) नहीं करेगा। उल्लंघन की स्थिति में बैंक ठेका निरस्त करने के बारे में ठेकेदार को नोटिस जारी करेगा तथा जमानत जमाराशि को जब्त कर लेगा।

(ग) वाहनों में कोई कमी (कमियों), तकनीकी समस्या या किसी प्रमाणपत्र/पत्रों, लाइसेंस/लाइसेंसों या वाहन चलाने के लिए आवश्यक किसी अनुमति की वैधता अवधि समाप्त होने, ठेकेदार को दिए गए अनुरोध की तुलना में अपेक्षित संख्या में वाहन उपलब्ध न करा पाने के कारण बैंक को हुए नुकसान या हानि को ठेकेदार को पूरा करना होगा तथा इसकी प्रतिपूर्ति करनी होगी।

(घ) ठेकेदार को आवश्यक रूट परमिट हासिल करना होगा तथा सभी संबंधित करों का भुगतान स्वयं करना होगा। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वाहन का पूर्णत: बीमा है तथा बैंक इस बारे में कोई प्रतिपूर्ति नहीं करेगा। खज़ाने के कंटेनर में यदि रास्ते में कोई

खराबी आती है तो ठेकेदार क्रेन/स्टेंड-बाई वाहन उपलब्ध कराने की स्थिति में होने चाहिए जिससे कि खज़ाने के विप्रेषण में कोई विलंब न हो। ठेकेदार को मोटर वाहन अधिनियम के सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करना होगा।

(ङ) रास्ते में वाहन के खराब होने की बैंक न तो कोई जिम्मेदारी लेगा एवं न ही इसके लिए जवाबदेह होगा। रास्ते में किसी तरह का ब्रेक-डाउन होने पर हर बार खज़ाने को कम-से-कम समय में ले जाने एवं खज़ाने के सुगम परिवहन की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

(च) खज़ाने को ले जाने वाले कंटेनर को सूर्यास्त के पश्चात यात्रा विराम देना होगा। कंटेनर के इस विराम को के लिए कोई प्रभार देय नहीं होगा, चाहे यह विराम भारतीय रिज़र्व बैंक, करेंसी चेस्ट, जिला पुलिस मुख्यालय में हुआ हो या अन्यत्र कहीं हुआ हो। परिवहन दरें तद्नुसार उद्धृत की जाएं।

(छ) निविदाकर्ता के कोई रिश्तेदार यदि बैंक में कार्यरत हैं तो उसे इसकी सूचना देनी होगी तथा वे किस पद पर हैं इस बारे में भी बताना होगा। यदि उसके कोई रिश्तेदार बैंक में कार्यरत नहीं हैं तो इसकी सूचना भी देनी होगी।

2.1 यदि किसी भी समय महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक यह समझते हैं कि उक्त पैरा 1.1 में दर्शाए अनुसार अपेक्षित संख्या में वाहनों की आपूर्ति या संचार में कमी या विलंब या विफलता या अन्य कमी/अपूर्णता सरीखी ठेकेदार की चूक के चलते नोटों के बक्सों की समय से सुपुर्दगी/पावती संभव नहीं हो पाई है तो महाप्रबंधक के समक्ष यह विकल्प खुला होगा कि अनुरोध को खारिज कर दें तथा उस अवसर पर उपलब्ध कराए गए सभी वाहनों को खारिज कर दें तथा काम को अन्य तरीके से करा लें। कार्य को अन्य तरीके से कराने में हुए व्यय के अंतर की वसूली बैंक कर सकता है। ऐसे प्रत्येक अवसर पर बैंक रु 10,000/- (रु दस हजार मात्र) का दंड भी लगा सकता है तथा ठेका अवधि में दंड की कुल राशि की कोई उच्चतम सीमा नहीं है। इस दंड की राशि की गणना इस चूक के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य के बर्बाद हुए मानव घंटों, लेकिन ये केवल आमतौर पर यहीं तक सीमित नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था करने में असफलता, कमी या समय की हानि को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इस व्यय एवं दंड की वसूली जमानत राशि में से या ठेकेदार को देय होने वाली राशि में से की जा सकती है एवं ऐसा न होने पर इस राशि की वसूली ऋण के रूप में 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज लगाते हुए ठेकेदार से की जा सकती है। बैंक इस कर्ज की वसूली के लिए समुचित कार्यवाही भी कर सकता है। यदि इस राशि की वसूली जमानत राशी में से की जाती है तो जमानत राशि में आई कमी को ठेकेदार को पांच कार्यदिवसों में पूरा करना होगा। बैंक को यह अधिकार भी होगा कि इस कमी की अवधि के दौरान वह कमी की राशि पर 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी ले सकता है।

2.2 उक्त पैरा 2.1 में किए गए उल्लेख के अनुसार किसी देयता के बारे में अगर कोई विवाद होता है तो इस बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई स्थिति केंद्रीय कार्यालय के मुद्रा प्रबंध विभाग के प्रधान मुख्य महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम तथा दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा तथा यदि ऐसी देयता बनती है तो नुकसान या हानि की राशि से संबंधित उक्त प्रधान मुख्य महाप्रबंधक /मुख्य महाप्रबंधक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

3.1 (क) ठेकेदार यह सुनिश्चित करे कि सभी कार्य/गतिविधियां समुचित तरीके से, सावधानीपूर्वक, त्वरित गति से तथा कुशलतापूर्वक संपन्न की जाएं। सभी कार्य/ गतिविधियां करेंसी नोटों के पैक बक्सों को हानि पहुंचाए बिना पूरी की जाएं।

(ख) कार्य की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए यह आवश्यक है कि बैंक ठेकेदार से सदैव संपर्क करने की स्थिति में रहे। ठेकेदार के पास संचार के पर्याप्त साधन होने चाहिए ताकि बैंक उनके निरंतर संपर्क में रह सके। ठेकेदार के पास कम-से-कम एक टेलीफोन (लैंडलाइन), मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर तथा ई-मेल होना चाहिए जो कि सदैव काम करने की हालत में हों। ठेकेदार को इस बात की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए कि उसे इन माध्यमों में से किसी एक या सभी पर प्राप्त होने वाले अनुरोध, मांग-पत्र या अनुदेश पर तुरंत उत्तर दिया जा सके। इन नंबरों/ई-मेल में यदि कोई बदलाव होता है तो ठेकेदार को इसकी सूचना तुरंत बैंक को देनी चाहिए। संचार के उक्त माध्यमों में यदि कोई अस्थाई व्यवधान आता है तो ठेकेदार को तुरंत ही वैकल्पिक व्यवस्था को कार्यरत रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। संचार के उक्त साधनों को स्थापित न कर पाने या व्यवधान की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था न कर पाने की स्थिति में संचार के प्रति साधन के हिसाब से रु 500/- (रु पांच सौ मात्र) प्रतिदिन का दंड लगाया जाएगा। यदि कभी ऐसी स्थिति आती है कि संचार के साधनों में व्यवधान के कारण बैंक ठेकेदार से संपर्क करने की स्थिति में न हो तो बैंक पंजीकृत डाक का उपयोग करने को बाध्य होगा तथा बैंक द्वारा डाकखाने में इसे ड़ालते ही संवाद पूरा मान लिया जाएगा।

3.2 दिए गए अनुरोध/मांग-पत्र के अनुपालन में ठेकेदार यदि कोई विलंब करते हैं तो निर्गम विभाग के महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक प्रत्येक घंटे या इसके भाग के लिए अधिकतम रु 5,000/- (रु पांच हजार मात्र) का दंड लगा सकते हैं। शर्त यह भी है यदि किसी अवसर पर यह विलंब आधा घंटे से कम का हो तो महाप्रबंधक/प्रभारी उप महाप्रबंधक कोई दंड नहीं लगाएंगे वरन ठेकेदार को चेतावनी देंगे। ऐसी चेतावनी के बाद भी यदि ठेकेदार अगले दिन या बाद में अन्य किसी अवसर पर फिर विलंब करता है तो चाहे यह विलंब आधा घंटे या इससे कम हो तो भी उक्त दंड लगाया जा सकता है। इस दंड की वसूली जमानत राशि या ठेकेदार को देय या देय होने वाली राशि में से किया जा सकता है एवं ऐसा न होने पर इस राशि की वसूली ठेकेदार से ऋण के रूप में की जाएगी। इस ऋण की वसूली के लिए बैंक को समुचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा। यदि इस राशि की वसूली जमानत राशि में से

की जाती है तो जमानत राशि में आई कमी को ठेकेदार को पांच कार्यदिवसों में पूरा करना होगा। बैंक को यह अधिकार भी होगा कि इस कमी की अवधि के दौरान वह कमी की राशि पर 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी ले सकता है।

4. ठेकेदार की सेवा में कमी के कारण रेलवे को भुगतान किए गए विलंब प्रभार की राशि, बैंक को हुए नुकसान या क्षति तथा बैंक पर लगाए किसी प्रकार के अर्थदंड या ऐसे खर्च जिसे बैंक को किसी न्यायालय, सांविधिक, प्रशासनिक या नगरपालिका प्राधिकारी/प्राधिकारियों द्वारा या उसके समक्ष शुरू की गई किसी कार्यवाही/ कार्यवाहियों में बचाव में होने वाले आवश्यक खर्च की वसूली बैंक द्वारा ठेकेदार की जमानत राशि से की जाएगी। जमानत राशि के समायोजन के पश्चात बकाया राशि की वसूली ठेकेदार को देय या होने वाले देय से की जाएगी जिसके पूरा नहीं होने पर उसकी वसूली ठेकेदार द्वारा बैंक को देय कर्ज के रूप में की जाएगी। बैंक को इस प्रकार के कर्ज की वसूली के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने का अधिकार होगा। यदि इस प्रकार की राशि की वसूली जमानत की राशि से की जाती है तो ठेकेदार को जमानत राशि में होने वाली कमी को पांच दिन के भीतर अनिवार्यत: पूरा करना होगा। जितनी अवधि तक यह कमी बनी रहती है तो उतनी अवधि के लिए बैंक को 18.00% प्रतिवर्ष की साधारण दर से ब्याज लगाने का अधिकार होगा।

5. ठेकेदार को कार्य के दायरों में निर्दिष्ट स्थानों से या वहां तक नोट के बक्सों को ले जाना होगा एवं इसके लिए उसे उस दर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा जो उसने उद्धृत की थीं एवं बैंक ने स्वीकार की थीं।

6. इस करार में उल्लिखित कार्यों को करने के लिए ठेकेदार जो वाहन उपलब्ध कराए उसमें ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लगा होना चाहिए ताकि इनके संचलन तथा स्थान पर निगरानी रखी जा सके।

7. ठेकेदार यदि अक्सर या लगातार विलंब करता है या इस करार के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से क्षेत्रीय निदेशक/प्रधान मुख्य महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक की अनुमति से या बिना अनुमति के ही निर्गम विभाग के महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक बैंक की तरफ से लिखित सूचना देते हुए इस करार को तुरंत प्रभाव से समाप्त कर सकते हैं चाहे भले ही इस विलंब या उल्लंघन के लिए पहले कोई दंड लगाया गया हो या न लगाया गया हो।

8. ठेकेदार को सौंपे जाने वाले परिचालन समय-संवेदी स्वरूप के हैं। अत:, बैंक अपने निर्दिष्ट नोटिस में ठेकेदार से जो व्यवस्था नोटिस में करने को कहे उसके अनुसार पर्याप्त मात्रा में जीपीएस युक्त मजबूत धातु की बॉडी वाले ऐसे ट्रक जिनके दरवाजों में ताले लगाने कि सुविधा हो, उपलब्ध कराए। ठेकेदार को नोटों के पैक बक्सों के संचलन का काम ***एक ही***

कानवॉय में सुनिश्चित करना होगा। इस अनुदेश के पालन न करने को उक्त खंड 2.1 के अनुसार सेवा में कमी माना जाएगा।

9. (i) करार में उल्लिखित कार्यों को पूरा करने के लिए लगाए जाने वाले सभी कार्मिकों जैसे पर्यवेक्षकों, ड्राइवरों तथा क्लीनरों/हैल्परों, आदि को ठेकेदार को फोटो पहचान पत्र जारी करने होंगे। ठेकेदार को ऐसे कार्मिकों को ही नियोजित करना चाहिए जिनके चरित्र एवं पूववृंत्त का पुलिस सत्यापन एक वर्ष से पहले न किया गया हो। नियोजित इन कार्मिकों के काम करने/बैंक परिसर में प्रवेश करने से पूर्व इस सत्यापन से संबंधित दस्तावेजी सबूत बैंक को प्रस्तुत किए जाने होंगे। यदि आवश्यक हो एवं बैंक निदेश दे तो इस ठेके के तहत ठेकेदार अपने जिन कर्मचारियों को नियोजित करता है उनके पर्यवेक्षण के लिए वह एक पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा। इस करार के तहत कार्य करने के लिए जिन व्यक्तियों/कार्मिकों को ठेकेदार नियोजित करता है उनके नियंत्रण, प्रशासन तथा उनसे संबंधित व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी/व्यक्ति किसी तरह की अव्यवस्था, अनुशासनहीनता या इस ठेके के तहत किए जा रहे कार्यों में या बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों या बैंक का कार्य करने वाले अन्य ठेकेदार के कर्मचारियों/व्यक्तियों के अन्य कार्य/परिचालनों में कोई व्यवधान/बाधा नहीं ड़ालेंगे। ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी/व्यक्ति बैंक के कर्मचारियों या अधिकारियों या बैंक का कार्य करने वाले अन्य ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों/व्यक्तियों से अभद्र व्यवहार, झगड़ा या लड़ाई नहीं करेंगे एवं न ही बैंक की संपत्ति या बैंक के या बैंक परिसर में खड़े इसके अधिकारियों/कर्मचारियों के वाहनों को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। यदि बैंक को यह लगता है कि ठेकेदार अपने कर्मचारियों/ व्यक्तियों को नियंत्रित करने में असफल रहा है तो बैंक रु 10,000/- (रु दस हजार मात्र) का दंड लगा सकता है। अपने कर्मचारियों या व्यक्तियों के अभद्र व्यवहार के परिणामस्वरूप यदि किसी व्यक्ति को कोई चोट लगती है तो ठेकेदार को इसकी क्षतिपूर्ति देनी होगी। ठेकेदार को बैंक उस व्यक्ति/व्यक्तियों को कार्य में न लगाने का निदेश दे सकता है जिसने बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों या अन्य ठेकेदार द्वारा नियोजित अन्य कर्मचारियों/व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार किया हो, झगड़ा किया हो या उन्हें चोट पहुंचाई हो या बैंक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो। बैंक के ऐसे निदेश का पालन करने में असफल रहने पर निदेश में नामित प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से बैंक रु 1,000/- (रु एक हजार मात्र) प्रतिदिन का दंड लगा सकता है।

(ii) यह हो सकता है कि बैंक के कार्य के विभिन्न पहलुओं जैसे कि नोटों के बक्सों, सिक्कों की ढुलाई, लोडिंग या अनलोडिंग एवं सिक्कों को लाने-ले जाने के लिए एक से अधिक ठेकेदार कार्य कर रहे हों तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके कर्मचारी दूसरे कर्मचारियों/व्यक्तियों के साथ सहयोग करें ताकि बैंक का काम सुगमतापूर्वक पूरा हो सके। इसे सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार को बैंक कर्मचारियों एवं अन्य ठेकेदारों के साथ समन्वय रखना होगा।

(iii) ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि करार के तहत कार्य करने के लिए उसने जो ड्राइवर नियोजित किए हैं वे नशे के या अन्य नशीले पदार्थों के आदी न हों। यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार इसका पालन नहीं कर पाया है तो बैंक प्रत्येक अवसर पर रु 5,000/- (रु पांच हजार मात्र) का दंड लगा सकता है। यदि ऐसी घटना तीन बार दुहराई जाती है तो बैंक को इस ठेके को तुरंत निरस्त करने का तथा जमानत राशि जब्त करने का अधिकार होगा। नोटों के बक्सों से लदे वाहन मदहोशी/नशे की हालत में चलाना पूर्णत: वर्जित है। चालक के असावधानीपूर्वक या मदहोशी की हालत में वाहन चलाने के कारण हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप अगर किसी मामले में बैंक को एक पक्ष बनाया जाता है तो ठेकेदार को अपने खर्च पर बैंक का बचाव करना होगा एवं ऐसा न होने पर बैंक अपने बचाव करने में आए खर्च की वसूली ठेकेदार से करेगा।

(iv) संविधि, नियमों, आदेशों आदि के अनुपालन संबंधी दस्तावेजी सबूत ठेकेदार को हमेशा इनमें निर्धारित फॉर्मों में रखने चाहिए। इन अनुपालनों के बारे में स्व-संतुष्ट होने के लिए बैंक को इन दस्तावेजों को मंगाने तथा जांच/निरीक्षण/सत्यापित करने का अधिकार होगा। ठेकेदार को इन दस्तावेजों लिखित रूप से संदेश मिलने के बाद अधिकतम पांच दिन के उचित समय में या किसी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी आदि द्वारा निदेशित अन्य अवधि, इनमें से जो भी कम हो, में बैंक को प्रस्तुत करना होगा। यदि ठेकेदार सभी तरह से पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए अनुमत बीतने के बाद बैंक को प्रतिदिन रु 1000/- (रु एक हजार मात्र) का दंड लगाने का अधिकार है। ठेकेदार द्वारा इन अभिलेखों को न रखने या अनुपालन न करने के कारण बैंक ऐसे अभिलेख किसी न्यायालय, सांविधिक या प्रशासनिक प्राधिकारी या नगरपालिका निकाय की अपेक्षानुसार उनके समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहता है एवं इस कारण यदि बैंक को कोई आर्थिक हानि होती है, दंड, भुगतान आदि करना पड़ता है तो बैंक उसकी वसूली जमानत राशि में से या ठेकेदार को देय या देय होने वाली राशि में से कर सकता है। बैंक यदि राशि/राशियों की वसूली पूर्णत: करने में असफल रहता है तो शेष राशि की वसूली ठेकेदार को बैंक के ऋण के रूप में की जाएगी। जिस सांविधिक शेष या अनुपालन के लिए ठेकेदार जिम्मेदार है उसके लिए यदि बैंक या ठेकेदार के प्रति कोई कार्रवाई शुरू होती है तो वह इससे स्वयं रक्षित रहेगा तथा बैंक को रक्षित रखेगा। अगर ठेकेदार उचित समय में इसका अनुपालन नहीं कर पाता है तो इसके अनुपालन न करने एवं इसकी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए बैंक को ठेके को निरस्त करने का अधिकार होगा।

(v) नोट के बक्सों ले पूरी तरह लदे वाहन का वजन भरे हुए वाहन के अनुमत वजन से अधिक न हो। ठेकेदार से अपेक्षित है कि इनमें ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लगवाए ताकि वाहनों के संचलन तथा स्थिति पर निगरानी रखी जा सके।

(vi) ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करे कि कार्य करने वाला उनका स्टाफ बैंक द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड के मुताबिक उचित वेश-भूषा (बैंक के अंदर एवं बाहर) में रहे।

10. इस ठेके को पूर्वोल्लिखित अवधि में कोई भी पक्ष दूसरे को एक महीने का नोटिस देकर खत्म कर सकता है। नोटिस अवधि में भी ठेकेदार को बैंक द्वारा प्रदत्त कार्यों को पूरी सावधानी, तत्परता तथा दक्षता से करना होगा।

11. किए गए कार्यों के बिल ठेकेदार पाक्षिक अंतराल पर प्रस्तुत करेंगे। हर तरह से पूर्ण पाए जाने पर इन बिलों का निपटान इन्हें प्रस्तुत करने की तारीख से 15 (पंद्रह) कार्यदिवसों में किया जाएगा। बिलों का भुगतान गंतव्य करेंसी चेस्टों, नोट प्रेसों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों आदि से विप्रेषण की पावती के अधीन होगा। इस करार के तहत किए गए कार्यों के बिल का भुगतान स्रोत पर कर कटौती, जैसी भी स्थिति हो, करने एवं अंतिम राशि को अगले उच्चतर रुपए तक पूर्णांकित करके की जाएगी।

12. इस ठेके को आपसी सहमति से एक-एक वर्ष का विस्तार देकर दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

13. इस करार के प्रावधान तथा संलग्न अनुसूची में दर्शाई गई दरें ******************* तक एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगी।

14. यह करार दो प्रतियों (डुप्लीकेट) में निष्पादित किया जाएगा। मूल प्रति बैंक के पास रहेगी तथा डुप्लीकेट प्रति ठेकेदार के पास रहेगी। मूल करार के संबंध में भुगतान की जाने वाली स्टेम्प ड्यूटी का भुगतान बैंक करेगा तथा डुप्लीकेट करार के संबंध में स्टेम्प ड्यूटी का भुगतान ठेकेदार करेगा।

15. हिंदी एवं अंग्रेजी पाठों में विसंगति पाए जाने पर अंग्रेजी पाठ प्रमाणित माना जाएगा तथा यह हिंदी पाठ पर प्रचलित होगा।

16. ठेका अवधि के दौरान इस करार में निर्दिष्ट दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी।

17. ठेकेदार जो भी रजिस्टर, बही तथा दस्तावेज या अन्य अभिलेख भौतिक, इलैक्ट्रॉनिक या अन्य किसी तरीके रखते हैं उन सभी रजिस्टरों, बहियों तथा दस्तावेजों को बैंक के आंतरिक या बाह्य निरीक्षक एवं/या लेखा परीक्षक; न्यायालय, सांविधिक, प्रशासनिक या नगर पालिका प्राधिकारी जब निरीक्षण, अंकेक्षण, सत्यापन या जांच हेतु मांगे तो उसे इन्हें बैंक को प्रस्तुत करना होगा।

18. प्रतिबंधित घंटों के दौरान शहर में प्रवेश करने के लिए ठेकेदार को पुलिस प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमति हासिल करनी होगी।

19. गंतव्य करेंसी चेस्टों, प्रेसों, भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों आदि की दूरी की गणना सरकार की अधिसूचना या अनुमोदन के अनुसार की जाएगी।

20. इस ठेके के संबंध में या इससे कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होते हैं तो उसका निपटारा केवल **मध्यस्थता (माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996** के अनुसार एवं इसके प्रावधानों के तहत) से होगा तथा मध्यस्थता केवल लखनऊ में होगी। प्रत्येक पक्ष को एक मध्यस्थ की नियुक्ति करनी होगी तथा नियुक्त इन दोनों मध्यस्थों को तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करनी होगी जो कि अध्यक्ष मध्यस्थ के रूप में काम करेगा।

21. बैंक के नोटों का प्रेषण (कन्साइन्मेंट) ले जाने वाले कंटेनर ट्रकों में ठेकेदार अन्य कोई सामान या व्यक्ति को न ले जाए।

22. ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा संलग्न किए गए प्रमाणपत्र/दस्तावेज या प्रस्तुत ब्योरे यदि गलत/जाली/बोगस पाए जाएं, इनसे छेड़छाड़ की गई पाई जाए या सूचना प्रकट न की गई हो तो उन निविदाकर्ताओं को काली सूची में ड़ाल दिया दिया जाए तथा उन्हें भविष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक का कोई कार्य न दिया जाए। ये एजेंसियां जिन संयुक्त उपक्रमों या साझादारी फर्मों या अन्य किसी तरह की फर्मों में एक पक्ष हों उन्हें भी भविष्य में कोई काम न दिया जाए।

23. नोटों के बक्सों को ठेकेदार के जोखिम पर भेजा जाता है। यदि मार्ग में प्रेषण (कन्साइन्मेंट) खो जाता है या दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है, त्रुटिपूर्ण कंटेनर ट्रक या ठेकेदार या उसके द्वारा नियोजित कर्मचारियों की बेईमानी या कपटपूर्ण आचरण के कारण या अन्य किसी कारण से चोरी हो जाता है तो प्रेषण को हुई हानि या क्षति के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा। यदि प्रेषण मार्ग में खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ठेकेदार को बैंक को इस हानि या नुकसान के बारे में कंटेनर ट्रकों को रखने के स्थान की सूचना सहित तुरंत ही बैंक को अवगत कराना चाहिए ताकि बैंक अपने प्रतिनिधि को भेज सके जिससे कि गंतव्य स्थल पर प्रेषण की सुपुर्दगी के पूर्व हानि का आंकलन किया जा सके। मूल्यांकित हानि या नुकसान की भरपाई के साथ-साथ इस नुकसान या हानि के कारण हुए बैंक के व्यय की भरपाई भी ठेकेदार को करनी होगी।

24. खज़ाने के संचलन के बारे में ठेकेदार को बेहद गोपनीयता रखनी होगी तथा इसकी पावती, भंडारण, प्रेषण सरीखी संवेदनशील सूचना को किसी को भी नहीं बताना चाहिए।

25. ठेकेदार/एजेंसी “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध तथा निदान) अधिनियम, 2013” के उपबंधों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। यदि बैंक में ठेकेदार के कर्मचारी के विरुद्ध यौन-उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस शिकायत को कथित अधिनियम के अंतर्गत गठित उपयुक्त समिति को भेजी जाएगी। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न की रोकथाम तथा संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

इसके साक्षी के रूप में दोनों पक्षों ने ******* 2015 को हस्ताक्षर किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से

महाप्रबंधक /
उप महाप्रबंधक
निर्गम विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
लखनऊ
मुहर

गवाह:-1

हस्ताक्षर

नाम:-

पता

गवाह:-2

हस्ताक्षर

नाम:-

पता

ठेकेदार की ओर से

स्वत्वाधिकारी/साझीदार

मुहर

गवाह:- 1

हस्ताक्षर

नाम:-

पता

गवाह:- 2

हस्ताक्षर

नाम:-

पता

भारतीय रिज़र्व बैंक

निर्गम विभाग

लखनऊ

नोट के बक्सों के परिवहन के लिए निविदा

भाग II

(मूल्य बोली)

निविदाकर्ता का नामः- ______________________________

पताः-____

____

____

(प्रस्तुत करने की अंतिम तारीखः- 29 मई 2015 को अपराह्न 14.00 बजे तक)

निविदा - नोट के बक्सों के परिवहन के लिए निविदा - मूल्य बोली - भाग II

9 टन की क्षमता वाले बंद कंटेनरों में सड़क मार्ग से विप्रेषण भेजने की दरें

मद	दर
I)खजाने की बाह्य यात्रा हेतु रु प्रति किमी	
II) खजाने की वापसी यात्रा हेतु रु प्रति किमी	
III) बिना खजाने के वापसी यात्रा हेतु रु प्रति किमी	

Note: (i) **भारतीय रिज़र्व बैंक से/तक करेंसी चेस्टों तक/से स्थानीय विप्रेषण का काम करने एवं भारतीय रिज़र्व बैंक से/तक लखनऊ रेलवे स्टेशन तक/से विप्रेषण लाने तथा ले जाने के लिए खज़ाने के साथ बाह्य यात्रा के लिए लागू दर के हिसाब से न्यूनतम 50 किमी की दूरी का प्रभार देय होगा।**

(ii) 9 टन से कम या ज्यादा की क्षमता वाले कंटेनरों की दर स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदाकर्ता किसी अन्य क्षमता वाले कंटेनरों की दर उद्धृत न करें।

(iii) कार्य की जिन मदों की दर का उल्लेख यहां नहीं हुआ है तथा जिन पर करार में सहमति नहीं बनी है उनका निर्णय बैंक ठेकेदार से परामर्श कर करेगा।

उपर्युक्त मदों हेतु निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित दरें सारिणी के अनुसार भारित की जाएंगी एवं संमिश्र दरें ज्ञात करने के लिए भारित दरों को भी जोड़ा जाएगा। निविदाकर्ताओं की भारित दरों को बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाएगा ताकि निविदाकर्ता की न्यूनतम दर (एल$_1$) का पता लगाया जा सके। **इसे निविदाकर्ता न भरें (केवल कार्यालय के उपयोगार्थ)।**

क्र. सं.	दर	भार	भारित दर (छह दशमलव बिंदु तक)
(i) खज़ाने की बाह्य यात्रा हेतु (रु प्रति किमी की दर)		0.4250	
(ii) खज़ाने की वापसी यात्रा हेतु (रु प्रति किमी की दर)		0.1500	
(iii) बिना खजाने के वापसी यात्रा हेतु (रु प्रति किमी की दर)		0. 4250	
संमिश्र दर		1.0000	

अनुलग्नक I

बयाना राशि के बदले प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी का फॉर्मेट

(इसे जारीकर्ता बैंक के नाम से खरीदे गए समुचित मूल्य के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाए।)

गारंटी का यह विलेख दो हजार पंद्रह के ------ माह में ----- तारीख को ---------------(बैंकर का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय --------- (स्थान) में है तथा जिसका एक स्थानीय कार्यालय ---------- (जिसे अब "जमानतदार" कहा जाएगा) में है, तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत निगमित निकाय भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400 001 में है (जिसे अब "बैंक" कहा जाएगा), के बीच तैयार किया गया है।

जबकि ____________________________________ (निविदाकर्ता का का नाम जिसे अब "निविदाकर्ता" कहा जाएगा), जो कि .... के तहत पंजीकृत कंपनी/साझीदारी फर्म/एकल स्वत्वाधिकारी/हिंदू अविभाजित परिवार है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय----------------- में है तथा लखनऊ में -------- में कार्यालय है तथा जिसे संलग्न सामान्य अनुदेशों तथा विशेष शर्तों के तहत लखनऊ के रेलवे स्टेशनों से भारतीय रिज़र्व बैंक, 8-9, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ तक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, 8-9, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ से/तक उत्तर प्रदेश में स्थित करेंसी चेस्टों एवं नोटों की प्रेसों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य कार्यालयों आदि तक नोटों के बक्सों को लाने-ले जाने हेतु अपनी निविदा के संबंध में बयाना राशि के रूप में रु 30,000/- (रु तीस हजार मात्र) की राशि बैंक के पास जमा करनी है।

जबकि निविदाकर्ता ने बयाना राशि के बदले ------------- तक वैध बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का विकल्प चुना है।

अब यह साक्षी है:-

1. निविदाकर्ता द्वारा बैंक को उक्त निविदा के संबंध में जमानतदार यह अविकल्पी वचन देता है कि इस गारंटी विलेख, जिसे बयाना राशि के बदले निविदाकर्ता को बैंक के पास रखना आवश्यक है, के प्रस्तुत करने की तारीख से तीन दिन के अंदर बैंक की मांग पर रु 30,000/- (रु तीस हजार मात्र) बैंक को इन्कार किए बिना मांग के अनुसार अविकल्पी भुगतान करेगा।

2. यह गारंटी निविदाकर्ता के किसी कमजोरी या अनियमितता या बैंक, निविदाकर्ता या जमानतदार के विघटन या इसके गठन में किसी तरह के परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी।

3. अपनी निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात यदि निविदाकर्ता अपने प्रस्ताव को रद्द करता है या इसकी शर्तों में ऐसे संशोधन करता है जो कि बैंक को स्वीकार्य नहीं है या जब बैंक निविदा के कार्य को उसे देने का निर्णय ले तब वह इसे स्वीकार करने में अनिच्छा जाहिर कर दे तो इस गारंटी के तहत बैंक कोई भी दावा करने का पात्र होगा। इस बारे में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

4. गारंटी की वैधता अवधि के दौरान बैंक की पूर्व-लिखित सहमति प्राप्त किए बिना जमानतदार इसे प्रतिसंहरित नहीं कर सकता है।

5. पूर्व में उल्लिखित किसी भी तथ्य के बावजूद इस गारंटी के तहत जमानतदार की देयता रु 30,000/- (रु तीस हजार मात्र) तक सीमित होगी।

6. यह गारंटी -------------तक प्रभावी एवं वैध है तथा बैंक द्वारा जमानतदार को लिखित रूप में सूचित करने पर समाप्त तथा अप्रभावी हो जाएगी एवं उस स्थिति में इस गारंटी को मुक्त समझा जाएगा।

7. इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना बैंक द्वारा जारी मांग नोटिस का अनुसरण करते हुए जमानतदार भुगतान करेगा कि निविदाकर्ता एवं बैंक के बीच कोई विवाद है या उत्पन्न हुआ है एवं/या उक्त निविदा की किसी शर्त को बैंक लागू कराए या निविदाकर्ता का बैंक के प्रति रियायत से बैंक इसे किसी भी तरह उन्मोचित नहीं करेगा एवं इस गारंटी के तहत जमानतदार के लिए यह बाध्यकारी होगा कि इसका उन्मोचन जमानतदार को बैंक की सूचना पर ही किया जाए।

8. उपर्युक्त में उल्लिखित किसी भी तथ्य के बावजूद, इस गारंटी के तहत जब जमानतदार से __________ तक या इससे पहले लिखित रूप में कोई मांग या दावा न किया जाए तो उसके बाद इस गारंटी के तहत जमानतदार सभी देयताओं से मुक्त हो जाएगा।

9. अपनी संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम के तहत जमानतदार को यह गारंटी जारी करने की शक्ति है तथा इस विलेख को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के पास जमानतदार से मुख्तारनामे के तहत आवश्यक शक्ति प्राप्त है।

हस्ताक्षर एवं सुपुर्द
उक्त बैंक के लिए एवं उनकी तरफ से।
…………………………………… (जारीकर्ता बैंक का नाम तथा मुहर सहित)

शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर

मुहर

अनुलग्नक II

जमानत राशि हेतु बैंक गारंटी का प्रोफॉर्मा

(इसे जारीकर्ता बैंक के नाम से खरीदे गए समुचित मूल्य के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाए)

संख्या ______________ दिनांक ___________

सेवा में:-

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
लखनऊ

महोदय,

आपके साथ नोटों के बक्सों को लाने-ले जाने (परिवहन) के ठेके के संबंध में मैसर्स - ____________________ द्वारा प्रस्तुत ________________ 2015 की निविदा के अनुसार एवं निविदा तथा इससे संबंधित निविदा के अन्य दस्तावेजों की शर्तों, जो कि _________ के आपके दिनांक _________________ के ठेका करार की आपसी सहमति से बनी शर्तों या संशोधनों में उल्लिखित या संदर्भित शर्तों के अधीन है, के तहत आपने रु 75,000/- (रु पचहत्तर हजार मात्र) की जमानत राशि स्वीकार करने की सहमति दी है एवं इसमें उल्लिखित तरीके से उन्होंने हमसे गारंटी देने को कहा है, हम _____________ (बैंक का नाम) समय समय पर आपको रु 75,000/- (रु पचहत्तर हजार मात्र) तक उक्त ठेका करार में निहित किसी भी शर्त के ठेकेदार द्वारा उल्लंघन या उल्लंघनों हुई या होने वाली हानि या नुकसान और कथित ठेका करार के तहत किसी भी कार्य को करने में या इसमें निहित वास्तविक आशय या अर्थ की शर्तों के पालन या निष्पादन में ठेकेदार द्वारा चूक या चूकें करने के प्रति आपको रक्षित रखेंगे, ठेकेदार की किसी चूक के कारण आपको हुई हानि एवं/या नुकसान, मूल्य, प्रभार या व्यय के कारण आपके द्वारा दावा की गई ऐसी राशि या अधिकतम रु 75,000/- (रु पचहत्तर हजार मात्र) तक की राशि का भुगतान हम आपकी मांग पर करेंगे।

2. कुछ भी प्रतिकूल होने पर भी, आपका इस संबंध में निर्णय, कि ठेकेदार ने ऐसी कोई चूक या चूकें की हैं एवं इस वजह से आप राशि या राशियों की प्रतिपूर्ति के पात्र हैं, हमारे लिए बाध्यकारी होगा एवं हम इस गारंटी के तहत आपसे दावा या दावे की प्रमाणिकता पूछने के पात्र नहीं होंगे अपितु बिना किसी प्रतिवाद या आपत्ति के आपकी मांग पर इसका भुगतान करेंगे।

3. यह गारंटी तब तक वैध रहेगी जब इस ठेका करार की संबंधित गारंटी अवधि समाप्त हो जाए एवं इस ठेका करार के तहत ठेकेदार ने अपनी सारी बाध्यताएं पूरी कर दी हों एवं इस ठेका करार के तहत कार्य पूरा करने का प्रमाणपत्र तथा “अदेयता प्रमाणपत्र” प्रस्तुत कर दिया हो, बशर्ते यह गारंटी कुछ भी न होने की स्थिति में भी -------- तारीख के बाद भी आपके दावे या उत्पन्न होने वाले दावे या मांग या अन्यथा पर प्रतिकूल प्रभाव ड़ाले बिना, उक्त तारीख, जिससे हमारे विरुद्ध यह अन्य बातों के होते हुए भी यह उस तारीख से प्रभावी होगी, हमें इस तारीख से छह महीने खत्म होने से पूर्व लिखित रूप से सूचित करने तक रहेगी।

4. अगर किसी कारणवश इस गारंटी की अवधि को बढ़ाना आवश्यक हुआ तो आपकी अपेक्षानुसार इस गारंटी की अवधि को उतने समय तक बढ़ा देंगे जितने समय तक आप चाहेंगे। इस बारे में आपका निर्णय हमारे लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

5. इस गारंटी को प्रभावित किए बिना आपको इस बात की पूरी स्वतंत्रता होगी कि कथित ठेके की शर्तों को परिवर्तित कर सकते हैं या ठेकेदार के निष्पादन के समय को बढ़ा सकते हैं या ठेकेदार के प्रति आपके अधिकार या शक्तियों को किसी भी समय या समय-समय पर आगे बढ़ा सकते हैं या उक्त मामलों के संबंध में अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए या किसी समय ठेकेदार के किसी कारण या अन्य किसी रियायत, गतिविधि या आपकी किसी चूक या ठेकेदार को आपके किसी अनुग्रह या कथित ठेके में किसी परिवर्तन या संशोधन या अन्य कोई गतिविधि, मामला या कार्य जो कि जमानतदार से संबंधित कानून के प्रावधानों के अनुसार हमें हमारी देयता जारी करने पर प्रभावित करे बशर्ते इससे हमारी देयता निहित उक्त रु 75,000/- (रु पचहत्तर हजार मात्र) से ज्यादा न बढ़े।

6. आपके द्वारा ठेकेदार से किसी प्रतिभूति लेने या परिवर्तित करने या छोड़ने या अन्य किसी व्यक्ति, फर्म या इसकी ओर से किसी कंपनी या समापन, विलय या ठेकेदार के दिवालिया या मृत होने के कारण यह गारंटी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी।

7. यहां उल्लिखित गारंटी को पूर्णत: प्रभावी बनाने के लिए आप यह मानने के पात्र होंगे कि ठेकेदार के प्रति आपके दावों, जिनकी हमने गारंटी दी है, के लिए हम आपके मुख्य कर्जदार के रूप में कार्य करेंगे एवं हम जमानतदारी तथा अपने अन्य सभी उन अधिकारों को खत्म करेंगे जो गारंटी के प्रावधानों से असंगत है।

8. पूर्ववर्णित हमारी देयता की अधिकतम सीमा के तहत, इस ठेके के कारण या संबंध में ठेकेदार के प्रति आपके दावों को यह गारंटी कवर करेगी तथा इस बारे में आपके दावे इस गारंटी के खत्म होने की तारीख के छह महीने पहले हमारे पास लिखित रूप में दर्ज़ होने चाहिए।

9. किसी भी मांग या यहां उल्लिखित अन्यथा का नोटिस विशेष कुरियर, टेलेक्स, फैक्स, इलैक्ट्रॉनिक मेल या हमारे उक्त स्थानीय पते पर पंजीकृत डाक से भेजा जाए एवं यदि यह डाक से भेजा गया है तो डाक में डालने की तारीख से ही इसे दिया हुआ समझा जाएगा।

10. यह गारंटी एवं इसमें निहित शक्तियां तथा प्रावधान आप द्वारा हमें (चाहे अन्य के साथ संयुक्त रूप से या अकेले) अब तक प्रदत्त एवं जो अब तक बिना निरस्त हुए अस्तित्व में हैं ऐसी किसी अन्य गारंटी एवं तक सीमित या स्थानापन्न नहीं होंगी एवं यह गारंटी ऐसी किसी गारंटी या गारंटियों से प्रतिसंहरित या सीमित नहीं होगी।

11. ठेकेदार या हमारे संघटन में किसी भी तरह के परिर्वतन से, न ही आपके संघटन में किसी भी तरह के परिर्वतन या समामेलन या समावेश के कारण किसी तरह से इस गारंटी पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा अपितु यह सुनिश्चित होगा कि इसके लाभ समामेलन या समावेश करनी वाली कंपनी या संस्था को भी उपलब्ध रहेंगे।

12. इस निविदा की किसी भी शर्तों को लागू करने में बैंक की कोई रियायत, कार्य या चूक या निविदाकर्ता के प्रति बैंक के अनुग्रह दर्शाने से किसी भी तरह से जमानतदार को दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी एवं इस गारंटी के तहत जमानतदार को दायित्व से मुक्ति केवल तभी मिलेगी जब बैंक लिखित रूप से सूचित करे।

13. अपनी अवधि के दौरान यह गारंटी अप्रतिसंहरणीय है तथा लिखित रूप से पूर्व सहमति के बिना इसे प्रतिसंहरित नहीं किया जा सकता है।

14. हम इस पर भी सहमत हैं एवं वचन देते हैं कि आपके द्वारा लिखित रूप से मांगे जाने पर इस तथ्य के होते हुए भी हम आपको बिना प्रतिवाद के राशि का भुगतान करेंगे कि आपके एवं ठेकेदार या अन्य व्यक्ति के बीच कोई अंतर या मतभेद या विवाद है।

15. उपर्युक्त में कुछ होते हुए भी इस गारंटी के तहत हमारी देयता रु 75,000/- (रु पचहत्तर हजार मात्र) तक सीमित है। इस गारंटी की मूल अवधि समाप्त होने के छह माह के या विस्तारित अवधि के अंदर अगर लिखित रूप से कोई भुगतान का कोई दावा नहीं किया जाता है तो इस गारंटी के तहत आपके समस्त अधिकार जब्त समझे जाएंगे एवं इसके तहत हम अपने दायित्व से मुक्त समझे जाएंगे चाहे भले ही मूल गारंटी हमें लौटाई जाए या ना लौटाई जाए।

16. अपने बैंक के अंतर्नियम एवं बहिर्नियमों के तहत हमें यह गारंटी जारी करने की शक्ति हासिल है एवं बैंक (बैंक गारंटी जारी करने वाला बैंक) द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में प्रदत्त मुख्तारनामे के तहत अधोहस्ताक्षरी को यह गारंटी विलेख निष्पादित करने का प्राधिकार प्राप्त है।

हस्ताक्षर एवं सुपुर्द

(उक्त बैंक के लिए एवं उनकी तरफ से) कृते

(बैंकर का नाम तथा मुहर)

.... (जारीकर्ता बैंक का नाम तथा मुहर सहित)

(शाखा प्रबंधक)

शाखा का नाम तथा मुहर , पता सहित

भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के क्षेत्राधिकार में आने वाले करेंसी चेस्टों की जिला-वार सूची (अनुलग्नक III)					
	करेंसी चेस्ट का नाम		**बाराबंकी**		**गाजीपुर**
	लखनऊ	1	भारतीय स्टेट बैंक बाराबंकी	1	भारतीय स्टेट बैंक, गाजीपुर
1	भारतीय स्टेट बैंक, अमीनाबाद	2	भारतीय स्टेट बैंक, फतेहपुर, बाराबंकी	2	भारतीय स्टेट बैंक, मोहम्मदाबाद , गाजीपुर
2	भारतीय स्टेट बैंक, चंदर नगर, लखनऊ	3	भारतीय स्टेट बैंक, राम सनेही घाट	3	भारतीय स्टेट बैंक, सैदपुर
3	भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन	4	भारतीय स्टेट बैंक, रुदौली	4	भारतीय स्टेट बैंक, जमनियां
4	भारतीय स्टेट बैंक, मोहन लाल गंज	5	बैंक आफ इंडिया, बाराबंकी	5	यूएनबीके, गाजीपुर
5	भारतीय स्टेट बैंक, सीएबी, मोती महल मार्ग, लखनऊ				**बलिया**
6	स्टेट बैंक आफ पटियाला, लखनऊ		**रायबरेली**	1	भारतीय स्टेट बैंक, बलिया
7	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, हजरतगंज,लखनऊ	1	भारतीय स्टेट बैंक, लालगंज, रायबरेली	2	भारतीय स्टेट बैंक, बंशडीह
8	यूएनबीके, लखनऊ	2	भारतीय स्टेट बैंक, रायबरेली	3	भारतीय स्टेट बैंक, रसरा
9	बैंक आफ महाराष्ट्र, अलीगंज,लखनऊ	3	भारतीय स्टेट बैंक, सलोन	4	भारतीय स्टेट बैंक, कोटवा
10	बैंक आफ इंडिया, ऐशबाग	4	भारतीय स्टेट बैंक, आईटीआई, रायबरेली	5	भारतीय स्टेट बैंक, चितभरा गांव
11	बैंक आफ इंडिया, गोमती नगर	5	पंजाब नैशनल बैंक, रायबरेली	6	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, बलिया
12	देना बैंक, लखनऊ				
13	सीएएनबी, लखनऊ		**हरदोई**		**गोरखपुर**
14	बैंक आफ बड़ौदा, गोमती नगर, लखनऊ	1	भारतीय स्टेट बैंक, बिलग्राम	1	भारतीय स्टेट बैंक, बंशगांव
15	पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ	2	भारतीय स्टेट बैंक, हरदोई	2	भारतीय स्टेट बैंक, बरहालगंज
16	पंजाब नैशनल बैंक, गोमती	3	भारतीय स्टेट बैंक,	3	भारतीय स्टेट बैंक,

	नगर, लखनऊ		संडीला		गोरखपुर
17	यूको बैंक, लखनऊ	4	भारतीय स्टेट बैंक, शाहबाद, हरदोई	4	भारतीय स्टेट बैंक, गोला बाजार
18	इंडियन ओवरसीज बैंक, लखनऊ	5	बैंक आफ इंडिया, हरदोई	5	भारतीय स्टेट बैंक, पीपीगंज
19	सिंडीकेट बैंक,लखनऊ			6	भारतीय स्टेट बैंक, रेलवे कॉलोनी, गोरखपुर
20	इंडियन बैंक, रजनी खंड, लखनऊ		**अंबेडकरनगर**	7	भारतीय स्टेट बैंक, सहजनवां
21	इलाहबाद बैंक, लखनऊ	1	भारतीय स्टेट बैंक, अकबरपुर	8	भारतीय स्टेट बैंक, खूनीपुर
22	ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स, लखनऊ	2	भारतीय स्टेट बैंक, टांडा	9	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, गोरखपुर
23	विजया बैंक,लखनऊ		**प्रतापगढ़**	10	यूएनबीके, गोरखपुर
24	आईसीआईसीआई बैंइक, लखनऊ	1	भारतीय स्टेट बैंक, कुंडा	11	बैंक आफ इंडिया, तारामंडल, गोरखपुर
25	एचडीएफसी बैंक, लखनऊ	2	भारतीय स्टेट बैंक, पट्टी	12	बैंक आफ बड़ौदा, गोरखपुर
26	एक्सिस बैंक, एमजी रोड, लखनऊ	3	भारतीय स्टेट बैंक, प्रतापगढ़	13	पंजाब नैशनल बैंक, उर्दू बाजार
		4	बैंक आफ बड़ौदा, प्रतापगढ़	14	पंजाब नैशनल बैंक, इंडस्ट्रियल एरिया, गोरखपुर
				15	यूको बैंक, पार्क रोड, गोरखपुर (उ. प्र.)
				16	एआईबीके, गोरखपुर
				17	ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स, गोरखपुर
	सुल्तानपुर		**फैजाबाद**		**सीतापुर**
1	भारतीय स्टेट बैंक, अमेठी	1	भारतीय स्टेट बैंक, बीकापुर, फैजाबाद	1	भारतीय स्टेट बैंक, बिस्वान
2	भारतीय स्टेट बैंक, मुसाफिरखाना	2	भारतीय स्टेट बैंक फैजाबाद	2	भारतीय स्टेट बैंक, हरगांव
3	भारतीय स्टेट बैंक, सुल्तानपुर			3	भारतीय स्टेट बैंक, मिसरिख
4	बैंक आफ बड़ौदा, सुल्तानपुर	3	बैंक आफ बड़ौदा फैजाबाद	4	भारतीय स्टेट बैंक, सिधौली

	महाराजगंज	4	पंजाब नैशनल बैंक फैजाबाद	5	भारतीय स्टेट बैंक, सीतापुर
1	भारतीय स्टेट बैंक, महाराजगंज	5	पंजाब नैशनल बैंक, सिविल लाइंस, फैजाबाद	6	इलाहबाद बैंक, सिविल लाइंस, सीतापुर
2	भारतीय स्टेट बैंक, फरेंदा				
3	भारतीय स्टेट बैंक, सिसवान बाजार		**संत कबीर नगर**		**बरेली**
	आज़मगढ़	1	भारतीय स्टेट बैंक, खलीलाबाद	1	भारतीय स्टेट बैंक, अनोला
1	भारतीय स्टेट बैंक आज़मगढ़			2	भारतीय स्टेट बैंक, बाहेरी
2	भारतीय स्टेट बैंक, लालगंजj, आज़मगढ़		**जौनपुर**	3	भारतीय स्टेट बैंक, बरेली
3	भारतीय स्टेट बैंक, फूलपुर, आज़मगढ़	1	भारतीय स्टेट बैंक, जौनपुर	4	भारतीय स्टेट बैंक, फरीदपुर
4	यूनियन बैंक, आज़मगढ़	2	भारतीय स्टेट बैंक, केराकाट	5	भारतीय स्टेट बैंक, नवाबगंज, बरेली
5	पंजाब नैशनल बैंक आज़मगढ़	3	भारतीय स्टेट बैंक, मछलीशहर	6	स्टेट बैंक आफ पटियाला, बरेली
	वाराणसी	4	भारतीय स्टेट बैंक, मरियाहू	7	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, बरेली
1	भारतीय स्टेट बैंक, डीएलडब्ल्यू,वाराणसी	5	भारतीय स्टेट बैंक, शाहगंज	8	बैंक आफ बड़ौदा, नवाबगंज
2	भारतीय स्टेट बैंक वाराणसी	6	भारतीय स्टेट बैंक, बदलापुर	9	बैंक आफ बड़ौदा, बरेली (सिविल लाइंस)
3	भारतीय स्टेट बैंक, गोपियागंज	7	यूएनबीके, जौनपुर	10	पंजाब नैशनल बैंक, बरेली
4	भारतीय स्टेट बैंक, इंडस्ट्रियल एस्टेट,वाराणसी		**चंदौली**	11	यूको बैंक, बरेली
5	भारतीय स्टेट बैंक, वाराणसी सिटी	1	भारतीय स्टेट बैंक, चकिया	12	एएलबीके, बरेली (सिविल लाइंस)
6	भारतीय स्टेट बैंक, बीएचयू, वाराणसी	2	भारतीय स्टेट बैंक, मुगल सराय रेलवे स्टेशन	13	ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स, बरेली

7	भारतीय स्टेट बैंक, बिश्वेश्वर गंज	3	भारतीय स्टेट बैंक, चंदौली	14	पंजाब एंड सिंध बैंक, बरेली
8	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, चौक,वाराणसी				**बदायूं**
9	यूएनबीकए, रथ यात्रा		**संत रविदास नगर**	1	भारतीय स्टेट बैंक, बदायूं
10	यूएनबीके, लहरतारा	1	भारतीय स्टेट बैंक, भदोही	2	भारतीय स्टेट बैंक, बिसौली
11	सीएएनबी, वाराणसी	2	भारतीय स्टेट बैंक, घोसिया, संत रविदास नगर	3	भारतीय स्टेट बैंक, दातागंज
12	बैंक आफ बड़ौदा, बिश्वेश्वर गंज	3	भारतीय स्टेट बैंक, ज्ञानपुर	4	भारतीय स्टेट बैंक, गुनौर
13	बैंक आफ बड़ौदा, इंडस्ट्रियल एरिया, वाराणसी	4	बैंक आफ इंडिया, भदोही	5	भारतीय स्टेट बैंक, सहसवान
14	पंजाब नैशनल बैंक, बिश्वेश्वर गंज		**सिद्धार्थनगर**	6	भारतीय स्टेट बैंक, उझानी
15	यूको बैंक, वाराणसी	1	भारतीय स्टेट बैंक, बंसी	7	भारतीय स्टेट बैंक, बदायूं सिटी
16	इलाहबाद बैंक, वाराणसी	2	भारतीय स्टेट बैंक, डुमरियागंज	8	भारतीय स्टेट बैंक, बिलसी
17	एचडीएफसी बैंक, वाराणसी	3	भारतीय स्टेट बैंक, नौगढ़	9	पंजाब नैशनल बैंक, बदायूं
18	एक्सिस बैंक,वाराणसी				**सहारनपुर**
	देवरिया		**बिजनौर**	1	भारतीय स्टेट बैंक, देवबंद
1	भारतीय स्टेट बैंक, देवरिया	1	भारतीय स्टेट बैंक, बिजनौर	2	भारतीय स्टेट बैंक, नाकुर
2	भारतीय स्टेट बैंक, सलेमपुर	2	भारतीय स्टेट बैंक, धामपुर	3	भारतीय स्टेट बैंक, सहारनपुर
3	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, देवरिया	3	भारतीय स्टेट बैंक, नगीना	4	भारतीय स्टेट बैंक, मोरगंज
4	पंजाब नैशनल बैंक, देवरिया	4	भारतीय स्टेट बैंक, नजीबाबाद	5	भारतीय स्टेट बैंक, रेलवे रोड, सहारनपुर
	कुशीनगर	5	भारतीय स्टेट बैंक, चांदपुर	6	स्टेट बैंक आफ पटियाला, सहारनपुर
1	भारतीय स्टेट बैंक, हाता	6	पंजाब नैशनल बैंक,	7	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया,

			नजीबाबाद		सहारनपुर
2	भारतीय स्टेट बैंक, पडरौना		**मुरादाबाद**	8	केनरा बैंक, पुलजागियां
3	पंजाब नैशनल बैंक, पडरौना	1	भारतीय स्टेट बैंक, बिलारी	9	पंजाब नैशनल बैंक, सहारनपुर (सिविल लाइंस)
	बलरामपुर	2	भारतीय स्टेट बैंक, चंदौसी	10	पंजाब नैशनल बैंक, गंगोह, सहारनपुर
1	भारतीय स्टेट बैंक, बलरामपुर	3	भारतीय स्टेट बैंक, सिविल लाइंस, मुरादाबाद	11	कॉरपोरेशन बैंक, सहारनपुर
2	भारतीय स्टेट बैंक, उतरौला	4	भारतीय स्टेट बैंक, संभल		**पीलीभीत**
3	भारतीय स्टेट बैंक, तुलसीपुर	5	पंजाब नैशनल बैंक, मुरादाबाद	1	भारतीय स्टेट बैंक, बिसालपुर
4	पंजाब नैशनल बैंक, बलरामपुर	6	प्रथमा बैंक, मुरादाबाद	2	भारतीय स्टेट बैंक, पीलीभीत
	बस्ती	7	विजया बैंक, मुरादाबाद	3	भारतीय स्टेट बैंक, पूरनपुर
1	भारतीय स्टेट बैंक, हरईया		**बहराइच**		**शाहजहांपुर**
2	भारतीय स्टेट बैंक, पुरानी बस्ती	1	भारतीय स्टेट बैंक, बहराइच	1	भारतीय स्टेट बैंक, जलालाबाद
3	भारतीय स्टेट बैंक, कोर्ट एरिया, बस्ती	2	भारतीय स्टेट बैंक, नानपारा	2	भारतीय स्टेट बैंक, तिलहर
4	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, बस्ती	3	इलाहबाद बैंक, बहराइच	3	भारतीय स्टेट बैंक, टाउन हॉल, शाहजहांपुर
5	पंजाब नैशनल बैंक, बस्ती		**लखीमपुर खीरी**	4	बैंक आफ बड़ौदा, पुवायां
	गोंडा	1	भारतीय स्टेट बैंक, धोरहरा, लखीमपुर खीरी		**मऊ**
1	भारतीय स्टेट बैंक, गोंडा	2	भारतीय स्टेट बैंक, गोला गोकर्णनाथ	1	भारतीय स्टेट बैंक, घोसी, मऊ
2	भारतीय स्टेट बैंक, नवाबगंज, गोंडा	3	भारतीय स्टेट बैंक, लखीमपुर	2	भारतीय स्टेट बैंक, मोहम्मदाबाद, मऊ
3	भारतीय स्टेट बैंक, मानकपुर	4	भारतीय स्टेट बैंक, मोहम्मदी, लखीमपुर	3	भारतीय स्टेट बैंक, मऊनाथ भंजन

4	भारतीय स्टेट बैंक, बभनान	5	भारतीय स्टेट बैंक, पलियाकलां	4	पंजाब नैशनल बैंक, मऊनाथ भंजन, मऊ
5	पंजाब नैशनल बैंक, गोंडा	6	इलाह्बाद बैंक, लखीमपुर I		**श्रावस्ती**
6	इलाह्बाद बैंक, गोंडा			1	इलाह्बाद बैंक, भींगा